कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष-61 अंक-6 मुम्बई मई 2017

एमएसएमई मंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार देने पर जोर

अभ्यारण्य परियोजना - जनजातीय विकास के लिए एक पहल

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष-61 अंक-6 मुम्बई मई 2017

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष

श्रीमती अन्शु सिन्हा

सम्पादक

के. एस. राव

उप सम्पादक

सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार

संजय एस. सोमदे

कलाकार

चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय,3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्सः 022-26719465
ई-मेलः jagritikvic@gmail.com वेबसाईटः www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से
खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 38

लखनऊ में खादी कार्यक्रम एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत व्यापक रोजगार सृजन हेतु कार्यशाला ....

खादी, आतंकवाद से निपटने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है-कलराज मिश्र..

कलराज मिश्र ने राज्यों के एमएसएमई मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की..

रांची में अभ्यारण्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला.........................

अभ्यारण्य परियोजना-जनजातीय विकास के लिए.............

खादी इंडिया बिक्री केंद्र, कनॉट प्लेस ने अपना 62 वां स्थापना दिवस मनाते हुए, पिछले बिक्री के सभी रिकॉर्ड तोडे............

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने असम में पीड़ित युवाओं को बढ़ावा दिया...

वित्त वर्ष 2016-17 में खादी बिक्री में 33 प्रतिशत रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज..

ग्रामोदय में बाबासाहेब अम्बेडकर की १२६वीं जयंती..........

मिठाखरी में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना पर जागरूकता शिविर और लोक शिक्षा कार्यक्रम....................

विशाखापटनम में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर लोक शिक्षण कार्यक्रम...

लखनऊ में मध्य क्षेत्र के खादी संस्थाओ को सशक्त बनाने के लिए खादी सुधार और विकास कार्यक्रम पर कार्यशाला................

दिल्ली के शीर्ष अस्पतालों को खादी उत्पादों की आपूर्ति.........

आयोग की 643वीं बैठक का कार्यवृत्त.............................

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.............39 से 45

लखनऊ में उत्तर प्रदेश की खादी संस्थाओं के साथ बैठक

खादी कार्यक्रम एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत व्यापक रोजगार सृजन हेतु कार्यशाला का आयोजन

लखनऊ, 8 अप्रैल, 2017: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं, गरीब महिलाओं को रोजगार के तलाश में अपना गांव छोड़कर बाहर न जाना पड़े, इसके लिए खादी ग्रामोद्योग लघु व सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देगा, जिससे लोग अपने घरों में रहकर काम कर सके और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें और हमारे गांव भी खुशहाल रहें। यह बात केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने शनिवार को गोमती नगर स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी कार्यक्रम एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के अन्तर्गत व्यापक रोजगार सृजन पर आयोजित परिर्चचा में कहीं। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए उद्यमियों ने इस योजना के जरिए मिली सस्ते कर्ज से शुरू किए गए अपने उद्योगों व इससे कितने लोगों को रोजगार मिला इसकी जानकारी स्लाइड शो के जरिए दी।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि कलराज मिश्र ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है,लेकिन आर्थिक कारणों से वे कोई उद्यम नहीं लगा पाते और उन्हे अपना परिवार छोड़कर रोजगार के लिए शहर जाना पड़ता है। ऐसा न हो इसलिए गांवों में ही छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी बडे स्तर पर फंड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने शिवआश्रम द्वारा चलाए जा रहे बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। इसके लिए सामान्य सुविधा केन्द्र खोले जाएंगे जिससे यहां उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा सके और इस उद्योग

में काम करने वाले लोगों को प्रतिदिन 300 रूपए की आय मिल सके इस काबिल बनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के खादी, रेशम, वस्त्र उद्योग एवं निर्यात मंत्री श्री सत्य देव पचौरी ने कहा कि खादी स्वाभिमान का प्रतीक है। गांधी जी ने खादी को स्वदेशी व सम्मान से जोड़ा। उन्होंने कहा प्रदेश में बन्द बड़े कारखानों को खोला जाएगा और लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग बंद क्यो हुए हमे इस पर विचार करना होगा, जब तक उद्यमियों में शोषण से मुक्त भावना नहीं होगी उद्योग सफल नहीं होगें। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तीन सौ रुपये है तो कारखाने में काम करने वालों को अधिक मिलनी चाहिए।

खादी बोर्ड के अध्यक्ष श्री अखिलेश मिश्र ने कहा खादी को फैशन से जोड़ा जा रहा है। खादी के कपड़ों में डिजाइन करने के लिए निफ्ट के बड़े फैशन डिजाइनरों की मदद ली जा रही है और फैशनशो कराए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में आए उद्यमि श्री मनीष सिंघल ने बताया कि उन्होंने खादी ग्रामोद्योग से दो साल पहले मात्र 15 लाख का कर्ज लेकर चिनहट के मुरलीपुर में कचरी बनाने का उद्योग लगाया, आज उनका वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ पहुंच गया है और उनके कारखाने से गांव के 20 लोगों को रोजगार मिला है, इसमें

महिलाए भी शामिल हैं। इसी तरह भिलसर के मो. कादिर ने नवम्बर 2015 में बेकरी लगायी। इसमें 70 लोगों को रोजगार दिया गया। बैंक से लिया गया सारा कर्ज चुकाने के बाद मुनाफे के पैसे से दूसरी यूनिट भी लगा चुके हैं।

कार्यक्रम में लखनऊ, गोरखपुर, फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अकबरपुर की खादी संस्थाओं तथा गांधी आश्रम के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

एमएसएमई मंत्री द्वारा आयोग की 644 वीं बैठक की अध्यक्षता

खादी, आतंकवाद से निपटने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है –कलराज मिश्र

नई दिल्ली: जम्मू–कश्मीर में पिछले साल का पहली राष्ट्रीय प्रदर्शनी को बड़े पैमाने पर मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने मंगलवार को कहा कि खादी के माध्यम से लोगों की भागीदारी आतंकवाद को उखाड़ फेंक सकती है।

गाँधी दर्शन (राजघाट) पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 644 वीं बैठक को संबोधित करते हुए मंत्रीजी ने कहा कि पहले लोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग की राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-बिक्री में भाग लेने से आशंकित रहते थे। "लेकिन एक या दो दिनों में लोगों ने महसूस किया कि खादी उत्पादों का निर्माण करना उनके लिए- बेहतर आजीविका हासिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। "उन्होंने आगे कहा, हम अपने आदर्श वाक्य 'एक सूत-एक राष्ट्र' के साथ अधिक रोजगार का सृजन करना चाहते हैं। हम घाटी में ऐसे प्रदर्शनियों को नियमित रूप से आयोजित करने जा रहे हैं क्योंकि यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो वहां के लोगों को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त हिम्मत दे सकता है।'

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के रिपोर्ट कार्ड पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के संयुक्त सपने को साकार करने के लिए सरकार, विजन और कार्रवाई (एक्शन) के बीच समन्वय स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। "मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

के तहत निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले अधिक लक्ष्य प्राप्त किये हैं। अब इस योजना के तहत विशेष रूप में समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के साथ खादी और ग्रामोद्योग के विभिन्न कल्याण योजनाओं के साथ अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का समय आ गया है| "उन्होंने आगे कहा कि खादी का उन्नयन करने के लिए दूरदराज के इलाकों में काम करने पर भी बल दिया जा रहा है|

पूर्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री हरिभाई पर्थिभाई चौधरी ने कहा कि खादी बेरोजगारों को स्व-रोजगार प्रदान करने का एक बेहतर मार्ग हो सकता है| उन्होंने अपराध पर रोक लगाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अपने पोर्टल को पारदर्शी बनाने की भी सराहना की।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विजन और मिशन की रूपरेखा बताते हुए, आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना ने कहा कि नए क्षेत्रों की खोज के माध्यम से इस पर अधिक कार्य किया जा सकता है। "हम मधुमक्खी पालन का उन्नयन कर रहे हैं क्योंकि इसमें रोजगार सृजन करने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दिखाया है कि आने वाले वर्षों में यह देश में सबसे बड़ा रोजगार सृजन करने वाला संगठन होगा, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में"। उन्होंने आगे कहा कि, "हमारा, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण ऑनलाइन पोर्टल और आवेदन ट्रैकिंग करने की सुविधा है जिसका सभी जगह से प्रशंसा हुई है|'

कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत किया और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य नारायण ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया।

श्री कलराज मिश्र ने राज्यों के एमएसएमई मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र 28 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े मसलों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मंत्रियों एवं मुख्य सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मंत्रियों एवं मुख्य सचिवों (एमएसएमई/खादी/कॉयर) की बैठक आज यहां भारत सरकार के केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

भारत सरकार के एमएसएमई राज्य मंत्री श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की ओर से अंडमान एवं निकोबार दीप समूह के उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी, गुजरात के मंत्री श्री रोहित भाई पटेल, हरियाणा के मंत्री श्री विपुल गोयल, मणिपुर के मंत्री श्री बिश्वजीत सिंह, मिजोरम के मंत्री श्री एच. रोहलुना, ओडिशा के मंत्री श्री जोगेन्द्र बेहरा, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी और उत्तराखंड के मंत्री श्री मदन कौशिक ने इस बैठक में भाग लिया और उन्होंने अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों/राज्यों की ओर से विचार पेश किये। कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष श्री सी.पी. राधाकृष्णन और केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना भी इस अवसर पर मौजूद थे।

इस अवसर पर श्री कलराज मिश्र ने कहा कि यह सहकारी संघवाद की भावना पर सरकार द्वारा दिये जा रहे विशेष जोर एवं राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ जारी विचार-विमर्श के अनुरूप एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय एक आवश्यक अवयव है। यह बैठक इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें केन्द्र एवं राज्यों के प्रयासों के बीच बढ़िया तालमेल बैठाने की जरूरत है।

इस अवसर पर केन्द्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने कहा कि यदि केन्द्र एवं राज्य आपस में तालमेल बैठाकर काम करें, तो भारत दुनिया का विनिर्माण केन्द्र (हब) बन सकता है। इससे सभी हितधारक लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार को अपनाएं, ताकि रोजगार तलाशने वालों की संख्या कम हो सके।

राज्यों के उप राज्यपाल एवं मंत्रियों ने अपने यहां मौजूद समस्याओं का उल्लेख किया और मूल्यवान सुझाव दिए।

बैठक में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का विकास, राज्य में अलग एमएसएमई विभाग और एमएसएमई नीतियों से जुड़े मुद्दे और एमएसएमई के विकास में बाधक नियामकीय मुद्दे :
   - भारत सरकार ने एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया है। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में इस मंत्रालय के लिए आवंटन को वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में एक ही बार में 87 फीसदी बढ़ा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी 31 दिसंबर, 2016 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में एमएसएमई को दी जा रही सुविधाओं का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यत: एमएसएमई द्वारा ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
   - कुछ राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने अपने यहां एमएसएमई नीतियां तैयार की हैं। इस बैठक में एक बार फिर सभी राज्यों से यह आग्रह किया गया कि वे अपने यहां एमएसएमई नीति तैयार करें, ताकि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के क्रियान्वयन की समीक्षा
3. खादी को बढ़ावा और केवीआईसी की विभिन्न योजनाएं
4. मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे कि एस्पायर, एमएटीयू, एमएएस इत्यादि की समीक्षा
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) का क्रियान्वयन
6. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की प्रगति- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)
7. एसएमई के विकास के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तौर तरीके:
   - तेलंगाना में कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए वैधानिक मंजूरी स्वत: प्राप्त होना
   - गुजरात में वैधानिक मंजूरियों के लिए 'क्लियरिंग हाउस मॉडल'
   - गुजरात सरकार की खरीद नीति के तहत पूंजीगत निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और लाभ
   - पश्चिम बंगाल स्थित डीआईसी में व्यापार सुविधा केन्द्र।

रांची में अभ्यारण्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला

अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास हेतु अभ्यारण्य परियोजना पर एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के लिए दो दिवसीय एक विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन दिनांक 17 से 18 अप्रैल, 2017 तक राम दयाल मुण्डा ऑडिटोरियम, खेलगाँव, राँची में किया गया। इस दो दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं खासकर आर्थिक विकास एवं रोजगार से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है, खासकर ऐसे युवाओं को जो देश की मुख्यधारा से कट गए हैं।

कार्यशाला में मुख्य रूप से पीएमईजीपी, स्फूर्ति, खादी और क्षमता निर्माण आदि योजनाओं का उपयोग कर समय सीमा के भीतर कार्य योजना तैयार करने हेतु परियोजना की रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि आदिवासी लाभार्थियों को जागरूकता, प्रशिक्षण, विकास कौशल सहायता अंत तक प्रदान की जा सके और इसके अलावा पीएमईजीपी के तहत वे अपने सूक्ष्म उद्यम की स्थापना कर सकें या स्फूर्ति क्लस्टर योजना के तहत वे अपनी पारंपरिक गतिविधि में चलाने के लिए सक्षम बन सकें।

अभ्यारण्य कार्यशाला का उद्घाटन झारखण्ड की महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, इसके अतिरिक्त आयोग के माननीय विशेषज्ञ सदस्य पदमश्री अशोक भगत, माननीय सदस्य (पूर्वी क्षेत्र) डॉ संगीता कुमारी, तथा आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा, वित्तीय सलाहकार सुश्री उषा सुरेश एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

झारखण्ड की माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की धरती वन संपदा से भरपूर है एवं जमीन खनिज संपदा से संपन्न है, फिर भी लोगों का जीवन स्तर काफी नीचे है।

उन्होंने लोगों को अभ्यारण्य के माध्यम से प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की बात पर बल दिया तथा आए हुए लोगों को दो दिवसीय कार्यशाला से कुछ काम की जानकारी ग्रहण करने की तथा अपने गाँव में रहने वाले भाई-बहनों को भी इससे जोड़ने की भी सलाह दी। उन्होंने लोगों से अपने गाँवों से पलायन रोकने कहा और इसके लिए अभ्यारण्य को एक सार्थक पहल के रूप में इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अभ्यारण्य कार्यशाला के दौरान एक कार्ययोजना बनाने

की बात कही।

श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस अवसर पर कहा कि अभ्यारण्य जैसा कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है। उन्होंने सर्वसाधारण को अभ्यारण्य के मंच से खादी की शक्ति पहचानने की बात कही, खादी सिर्फ कपड़ा ही नहीं है, बल्कि हमें आजादी प्रदान करने वाली शक्ति है।

उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के माध्यम से खादी पर विशेष जोर देने तथा लोगों को इसे अपनाने की बात कही तथा खादी कपड़े के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने पी.एम.ई.जी.पी. योजना में लोगों को रोजगार दिलाने की संभावना पर जानकारी दी तथा अभ्यारण्य के तहत लोगों को इससे जोड़ने की बात कही, उन्होंने कहा कि यह योजना सम्मान के साथ लोगों को रोजगार मुहैया कराने में सक्षम है तथा इससे लोगों का गाँवों से पलायन रूकेगा। उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान गुजरात की एक पी.एम.ई.जी.पी. इकाई का हवाला दिया कि कैसे एक छोटी-सी इकाई आज करोड़ों का टर्न ओवर कर रही है एवं लोगों को रोजगार दिला रही है। उन्होंने खादी के माध्यम से गाँवों को मजबूत करने की बात कही ताकि लोगों को घर बैठे ही रोजगार मिल सके।

आयोग के अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस योजना के माध्यम से लगभग 4.3 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से आयोग ने अपने निर्धारित 1100 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 1281 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया है। इस साल लगभग 24 प्रतिशत अधिक रोजगार उपलब्ध कराये हैं और लगभग 35 प्रतिशत सब्सिडी लाभार्थियों को दी गई है।

उन्होंने मधुमक्खी पालन को हनी मिशन के रूप में अपनाने की बात कही तथा इस पर अभ्यारण्य के तहत विशेष रूप से कार्य करने पर बल दिया ताकि लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही साथ कृषि पैदावार में बढ़ोत्तरी हो सके। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 1000 मधुमक्खीपालन के बक्से लोगों को प्रशिक्षण के साथ इस क्षेत्र में देने की बात कही। उन्होंने यहाँ की खादी संस्थाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया तथा इसके लिए राज्य में इस साल कम-से-कम 10 नई खादी की संस्थाएं खुलवाने हेतु पहल करने की बात कही।

उन्होंने अपने संबोधन में आयोग के माननीय विशेषज्ञ सदस्य, पदमश्री अशोक भगत जी को झारखण्ड का गाँधी बताया जो आदिवासियों के विकास एवं जीवन स्तर सुधारने के बारे में इतना सोचते हैं। उन्होंने दो दिनों के अभ्यारण्य कार्यशाला में आए विभिन्न विचारों के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति भाइयों/बहनों को रोजगार दिलाने हेतु एक सुनियोजित पहल करने की बात कही। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की खादी के प्रति अपेक्षाओं की प्रशंसा करते हुए विश्वास दिलाया कि हम लोग खादी के माध्यम से ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को जोड़ेगे।

झारखण्ड प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों को वनोत्पादों से रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई है, इसके तहत खास उत्पाद वालों क्षेत्रों में वहाँ के लोगों को प्रसंस्करण इकाइयों में रोजगार मिलेगा।

आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा ने इस बात पर विशेष तौर पर जोर देते हुए कहा कि केवल लक्ष्यांक हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी हासिल करना उतना ही जरूरी है एवं जो भी लक्ष्यांक हासिल करना शेष रह गया है, उसे पुनः हासिल किया जाए। इस बाबत जो लोग सबसे अंतिम पायदान पर अवस्थित हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पीएमईजीपी योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 और 8.20 प्रतिशत निधि अलग से आवंटित की है । हालांकि यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजाति की उपलब्धि प्रतिशत केवल लगभग 4 फीसदी रहा है जोकि निर्धारित लक्ष्य 8.20 से बहुत कम है।

पदमश्री अशोक भगत, माननीय विशेषज्ञ सदस्य, ग्रामीण विकास, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आदिवासियों की रोजगार पाने की लालसा जो उनके मन में उबल रही थी, उन्हें अभ्यारण्य के माध्यम से सिर्फ झारखण्ड ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस अभ्यारण्य मॉडल को ले जाने की बात कही। उन्होंने आयोग को अभ्यारण्य कार्यशाला के प्रस्ताव को मानने पर धन्यवाद दिया एवं वर्तमान में इसके महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। माननीय पदमश्री अशोक भगत के ही अथक प्रयास से झारखण्ड के आदिवासियों के अतिरिक्त ओडिसा से भी लगभग 140 आदिवासी युवक एवं युवतियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

माननीय सदस्या, डॉ. संगीता कुमारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी की बंद पड़ी एवं खादी की जीर्ण-शीर्ण इकाइयों को पुनः सुचारु रूप से चलाने पर बल दिया। उन्होंने झारखण्ड राज्य के वीर सपूतों के प्रयासों की झारखण्ड में विकास के योगदान की याद दिलाई तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा योजनाओं के माध्यम से जनजातियों के विकास में हर में हर संभव प्रयासों का आश्वासन दिया।

सर्वप्रथम, श्री के.एस. राव, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पी.एम.ई. जी.पी.) ने सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं कार्यशाला में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया एवं कार्यशाला के उद्देश्य पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि खा.ग्रा.आ. ने तो पी.एम.ई.जी.पी. के वर्ष 2016-17 के लक्ष्यांक से कुछ अधिक ही उपलब्धि हासिल कर लिया, परन्तु अनुसूचित जनजाति के निर्धारित कुल 8.20 प्रतिशत लक्ष्यांक में से सिर्फ 4 प्रतिशत ही प्राप्त कर पाई, जिसपर पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आदिवासी वर्ग के युवाओं एवं कामगारों को आयोग की क्लस्टर आधारित स्कीम स्फूर्ति से भी जोड़कर एवं मधुमक्खीपालन एवं कौशल विकास से संबंधित रोजगारोन्मुखी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवनस्तर में सुधार लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त श्री राव ने कौशल विकास हेतु आरसेटी/रूडसेटी को आगे आने का सुझाव दिया, ताकि लोगों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित कर उन्हें पी.एम.ई.जी.पी. के माध्यम से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही साथ, उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पर भी बल दिया।

श्री बाई. के. बारामतिकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उद्घाटन सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया और संक्षेप में सभी आए हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों से यह आश्वस्त किया कि लोगों को स्वरोजगार दिलाने हेतु एक ठोस नीति बनेगी तथा आह्वान किया कि अभ्यारण्य के माध्यम से करीब 5000 लोगों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने ऐसी आशा जतायी कि इस अभ्यारण्य मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

अभ्यारण्य कार्यशाला के दौरान श्रीमती पी.एम.

जोगलेकर, निदेशक (पी.एम.ई.जी.पी.) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर विस्तार से जानकारी दी गई तथा योजना से संबंधित पिछली उपलब्धियों एवं विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। जिससे लाभुकों को योजना की जानकारी मिली। इसके अतिरिक्त श्री एम.टी. वाकोडे, निदेशक (एफ.बी.आई.) ने मधुमक्खीपालन पर ट्रेडिशनल एवं आधुनिक विधियों को विस्तार से समझाया तथा मधुमक्खीपालन से किसानों व बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में कार्यक्रम की विशेषताएँ बताईं।

इसी दिन, सायंकाल सत्र में अभ्यारण्य में उपस्थित विभिन्न एन.जी.ओ. के वक्ताओं ने अपने साधन सरंजाम के माध्यम से झारखण्ड एवं ओडिशा राज्य में विभिन्न कार्यों के बारे में प्रशिक्षण देने की बात कही। साथ ही खादी और ग्रामोद्योग के मंचासीन उच्चाधिकारियों ने उपस्थित कारीगरों एवं अन्य लोगों को राज्य कार्यालय, राँची एवं भुवनेश्वर से संपर्क कर मधुमक्खी पालन के बारे में प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। इसके साथ ही साथ निदेशक, आरसेटी, राँची द्वारा पूरे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार से संबंधित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की बात कही गई एवं प्रशिक्षित लोगों को पी.एम.ई.जी.पी. योजना से जोड़ने की बात कही गई।

दिनांक 18.4.2017 के सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत ने कहा कि ग्रामीण युवक-युवतियों को सशक्त कर स्वालम्बी बनाने का संकल्प लेने की जरूरत है। गाँव की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। गाँवों को भी स्वालम्बी बनाना है, इसके लिए सुदूर गाँवों एवं जंगली इलाकों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग जैसी संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, इसके लिए आयोग को एक व्यापक कार्यक्रम बनाकर झारखण्ड के ग्रामीण ओर जंगली इलाकों में वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम चलाने चाहिए। उन्होंने किसानों को जैविक सलाह दी कि वे जैविक कृषि अपनाएँ साथ ही कहा कि कृषि के अलावा बागवानी पर भी ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। पशुपालन के साथ-साथ मधुमक्खीपालन से भी आर्थिक स्थिति बदली जा सकती है। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि किसानों की आय दुगुणी हो। मधुक्खीपालन का कृषि आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

विभिन्न एन.जी.ओ. की पहल:

क्राफ्ट इंडिया के श्री अभिजीत ने लोगों द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद वेजेज आधारित काम करने की सलाह दी तथा कहा कि यदि छह-सात महीना काम करने के बाद उन्हें काम करने एवं गुणवत्ता बाबत आत्तविश्वास आ जाता है तो वे पी.एम.ई.जी.पी. के अन्तर्गत खुद का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह की बात आरसेटी के निदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि हम अपने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें खुद की इकाई स्थापित करने एवं बाजार में स्थापित होने के लिए हैंड होल्डिंग सहायता देते हैं। आरसेटी सरायकेला के प्रतिनिधि ने कोकून उत्पादन, वर्मीकंपोस्ट बनाने, कम्प्यूटर हार्डवेयर मरम्मत आदि के प्रशिक्षण देने की बात कही।

श्री के.एस. राव, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खा.ग्रा.आ. द्वारा अभ्यारण्य में हुए विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त झारखण्ड के विभिन्न जिलों में गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा उनकी सक्षमता एवं सहमति के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई।

अभ्यारण्य परियोजना
- जनजातीय विकास के लिए एक पहल

-ःसंकल्पना और आवश्यकताः-

- भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर विशेष बल दिया है।
- सभी योजना/स्कीमों में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 8.20% का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
- पीएमईजीपी मार्जिन मनी उपयोग में केवल -10% अनुसूचित जाति और 4% अनुसूचित जनजाति शामिल हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रित और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च लक्ष्य और उपयोग को

ःरणनीतिः

- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों को कवर करने वाले रेड कॉरिडोर क्षेत्र पर फोकस।
- सभी हितधारकों को शामिल करना और केवीआईसी, एमएसएमई के साथ-साथ अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यशालाओं को व्यवस्थित करना।
- समय सीमा के साथ अभिसरण और कार्य योजना का विकास
- पीएमईजीपी, एसएफयूआरटीआई, खादी, कौशल विकास कार्यक्रम आदि की योजनाओं को लागू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, एसएचजी, खादी संस्थानों, आदिवासी कार्यकर्ताओं को जुटाना।

खादी इंडिया बिक्री केंद्र, कनॉट प्लेस ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाते हुए, बिक्री के पिछले सभी रिकॉर्ड तोडे

नई दिल्ली: आयोग के कनॉट प्लेस, नई दिल्ली स्थित "खादी इंडिया शोरूम" ने बहुत उत्साह और भव्यता के बीच अपना 62वा स्थापना दिवस मनाया। पहले इसे खादी ग्रामोद्योग भवन के नाम से जाना जाता था जिसे अब "खादी इंडिया शोरूम" का नाम दिया गया है। आयोग का यह प्रमुख बिक्री केंद्र 1955 में स्थापित किया गया था।

स्थापना दिवस के अवसर पर आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रृद्धांजलि दी तथा "खादी इंडिया शोरूम" के लगभग 12 कर्मचारियों को शाल पहनाकर सम्मानित किया-जिन्होंने इस संगठन के साथ 25 साल की सेवा पूरी की है।

इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "मुझे इसकी बहुत खुशी और गर्व है कि इस शोरूम ने वित्त वर्ष 2016-17 में 90 करोड़ रुपये की बिक्री की रिकॉर्ड दर्ज की है। 13 अप्रैल, 1955 को इसके उद्घाटन के पश्चात् यह सबसे ज्यादा बिक्री का आंकड़ा है।" उन्होंने कहा, "जहां तक सबसे ज्यादा एक दिवस बिक्री का संबंध है, 22 अक्टूबर, 2016 को 1.11 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ-साथ खादी इंडिया शोरूम ने इस वित्तीय वर्ष में एक इतिहास बनाया है।"

वर्ष 1955-56 में कुल 16.95 लाख रू. की बिक्री दर्ज की गयी थी, जो बढकर 2016-17 में 90.26 करोड़ रू. हो गयी है, जो कि विगत वर्ष से 70% अधिक है, पिछले वर्ष यह आँकड़ा 53.66 करोड़ रुपये था।

श्री सक्सेना ने कहा कि कनॉट प्लेस के खादी इंडिया बिक्री केंद्र में जो 70% वृद्धि हुई है इसका मुख्य कारण प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोगों से खादी को अपनाने की गयी अपील है।

इससे पूर्व इस बिक्री केंद्र को खादी ग्रामोद्योग भवन के नाम से जाना जाता था, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसे 2015 में ब्रांड के रूप में खादी इंडिया शोरूम नाम दिया है।

आयोग के उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य नारायण शुक्ला ने इस अवसर पर गणमान्य लोगों का स्वागत किया और श्री ए.के. गर्ग ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने असम में पीड़ित युवाओं को बढ़ावा दिया

अध्यक्ष महोदय द्वारा सिलीमखोवा (असम) में नये प्रशिक्षण-व-उत्पादन केंद्र की स्थापना

पुरानी कहावत है 'खाली दिमाग शैतान का घर होता है', इस उक्ति का अनुसरण करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान में और उसके आसपास वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का संरक्षण करने के लिए एक नवीन उपाय विकसित किया है।

पूरे हर्षोल्लास के साथ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 10 अप्रैल 2017 को असम वन विभाग के सहयोग से स्थापित नए प्रशिक्षण-व-उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने काजीरंगा वन क्षेत्र में कार्बी-एंग्लोंग जिले के सिलीमखोवा गांव में ग्रामीण कारीगरों को 25 चरखे, 5 करघे और अन्य सामग्री प्रदान की |

उद्घाटन समारोह के पश्चात कताई और बुनाई परियोजना स्थापना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पहली बार असम में सूती खादी का काम 10 तकुए चरखों के साथ शुरू हो रहा है। परियोजना के लिए चयनित 80 महिलाओं में से 35 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह इकाई इस क्षेत्र के लगभग ५० ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। "खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों ने असम के लगभग सभी जिलों में बेहतर रोजगार क्षमता को बढ़ावा दिया है, इसलिए हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगे – हमें उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना हैं। उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भागीदारी के साथ वे न केवल आजीविका का निर्वाह कुशलता पूर्वक कर पाएगें बल्कि वे अपने क्षेत्र की लुप्तप्राय प्रजातियों, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का संरक्षण के लिए भी आगे आयेंगे." उन्होंने आगे कहा कि "हमने इन वन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रमों की शुरुआत करने की भी योजना बनाई है – ताकि हमारे आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से और अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके |

श्री सक्सेना ने आगे कहा कि बुनाई असम की संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। "यह मुगा और एंडी जैसे आकर्षक एवं खुबसूरत वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है. असम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के 20 सीधी सहायता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5,000 कारीगर शामिल हैं और करीब 11 करोड़ रु. का उत्पादन किया जाता है। यहां लगभग 14 करोड़ रु. की खादी और पोलिवस्त्र की बिक्री की जाती है और असम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के विभागीय खादी भवनों तथा खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओ के गैर-विभागीय भवनों द्वारा विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कई सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से अनेको कारीगर लाभान्वित हो रहे हैं - आम आदमी बीमा योजना, खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना और कारीगर कल्याण एवं पेंशन ट्रस्ट इसमें प्रमुख है|"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष महोदय ने आगे आशा व्यक्त करते हुए कहा कि असम में खादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसी तरह के कई अन्य उत्पादन केंद्र प्रारंभ किये जाएंगे |

वित्त वर्ष 2016-17 में खादी बिक्री में 33 प्रतिशत रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज

नई दिल्ली: खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में खादी उत्पादों की बिक्री में 2,005 करोड़ रुपये की बिक्री करके एक बड़ी विकास दर हासिल की हैं अर्थात 33 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि 2015-16 के दौरान लगभग 1,510 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। यहां तक कि उत्पादन में- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1,396 करोड़ रूपए अर्थात 31 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

खादी उत्पादों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना को उम्मीद है कि वर्ष 2018-19 के अंत तक 5000 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज होगी। उन्होंने आगे बताया कि "वर्ष 2016-17 में खादी उत्पादों की बिक्री में रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई है। हम सरकारों, कॉरपोरेट्स और स्कूलों/ कॉलेजों से अधिक मात्रा में ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। हम 2018-19 के अंत तक 5,000 करोड़ रू की बिक्री का लक्ष्य हासिल करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि, "अपने कारीगरों और मजदूरों के साथ-साथ खादी एवं ग्रामोद्योगों के पुनरुत्थान के लिए, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गए विशेष प्रयास के कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग को यह अद्भुत प्रगति हासिल हो सकी है। हमने निर्धारित लक्ष्यों को भी पार कर लिया है, 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य 1634 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिया है। केवल इतना ही नहीं, 2016-17 के दौरान खादी और ग्रामोद्योगों दोनों की कुल बिक्री में 24 फीसदी की वृद्धि अर्थात 51,996 करोड़ रुपये और उत्पादन में 23% की वृद्धि अर्थात यह बढकर 42,506 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

सक्सेना ने आगे कहा कि आयोग के कनॉट प्लेस, नई दिल्ली स्थित "खादी इंडिया शोरूम" ने वित्त वर्ष 2016-17 में 96 करोड़ रुपए की खुदरा बिक्री दर्ज की है। "यह वित्त वर्ष 2015-16 में 54 करोड़ रुपए की खुदरा बिक्री से 78 प्रतिशत की एक रिकार्ड बिक्री को छुआ है।

उन्होंने आगे बताया कि " जहाँ तक एक दिन में सबसे ज्यादा बिक्री का सवाल है तो 22 अक्टूबर, 2016 को सबसे अधिक 1.11 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई है," उन्होंने यह भी कहा कि "कई प्रकार के गिफ्ट वाउचर प्रारंभ करने से अधिक से अधिक ग्राहक खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की ओर आकर्षित हुए है और जिससे बिक्री में अधिक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से यह योजना कारपोरेटों और विपणन एजेंसियों के लिए अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को उपहार देने के लिए सहायक सिद्ध हुई क्योंकि कारपोरेटों अनुभागों में उपहार देने का चलन है।"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि "वर्तमान में, हम सीधे निर्यात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, इससे खादी को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में मदद मिलेगी|"

अध्यक्ष महोदय ने आगे बताया कि उत्पादों के गुणवत्ता में सुधार लाने और उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करने के लिए आयोग नियमित रूप से डिजाइन और विपणन जैसे क्षेत्रों में कतिनों और बुनकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

ग्रामोदय में बाबासाहेब अम्बेडकर की 126वीं जयंती का आयोजन

ग्रामोदय,14 अप्रैल, 2017: आयोग मुख्यालय में दिनांक 14.04.2017 को बाबासाहेब अम्बेडकर की 126वीं जयंती बडे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा ने बाबासाहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों को स्मरण किया तथा उनके पदचिह्नों पर चलने के लिए उपस्थित जनों को प्रेरित किया।

इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस.राव तथा श्री वाय.के. बारामतीकर एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया और बाबासाहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके रचनात्मक कार्यों को स्मरण किया। यह कार्यक्रम आयोग के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

मिठाखरी में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना पर जागरूकता शिविर और लोक शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्विप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य स्व-रोजगार योजनाओं पर जागरूकता शिविर और लोक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन दि. 24 अप्रैल 2017 को मिठाखरी, दक्षिण अंडमान के ग्राम पंचायत के प्रधान कार्यालय के सभा कक्ष में किया गया।

पीएमईजीपी एवं अन्य स्व-रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए बेरोजगार/नियोजित युवाओं के लिए लाभदायक स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृषि, एएच एवं वीएस, मत्स्य पालन, डीआईसी, एमएसएमई-डीआई, राजस्व, बैंक और पीआर के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत, मिठाखरी के प्रधान श्री मुहम्मद सफीक ने उपस्थितों का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने भाषण में बेरोजगारों को स्व रोजगार व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा भागार्थियों से इसे अपनाने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान परिस्थिति में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर घट रहे हैं इसलिए बेरोजगारों के सामने स्व-रोजगार एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

अंडमान और निकोबार खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार ने अपने संबोधन में बोर्ड के पास उपलब्ध सहायता पॅकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस कार्यक्रम के दौरान श्रीमती इंदु बाला, जे.ए.ए., कृषि विभाग, डॉ. सबिता वती, एस.वी.ओ., ए.एच. & वी.एस., श्री संजीब कुमार, सूत्रधार, एस.आई.सी., मत्स्य विभाग, श्री एम.के. अन्जनै, प्रभारी, सू.ल.म.उ-डी.आई., डॉलीगुंज, श्री के. जय कुमार, आई.पी.ओ., जिला उद्योग केंद्र, अंडमान और निकोबार प्रशासन इत्यादि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और बेरोजगार युवाओं को वृहद् संख्या में स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न विकासशील योजनाओं के बारे मे संक्षिप्त रूप में जानकारी दी।

कार्यक्रम का समापन श्री ए.के. भट्टाचार्य के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

विशाखापटनम में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर लोक शिक्षण कार्यक्रम

विशाखापटनम में दिनांक 28.03.2017 को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर लोक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजकीय आई.आई.टी. कॉलेज, कन्चारपलेम में किया गया।

कॉलेज के उप प्राचार्य श्री बी.करुणा राव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी भागार्थियों का स्वागत किया। आयोग के विभागीय निदेशक, विशाखापटनम श्री आर.के. चौधरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग/ जिला उद्योग केंद्र/ राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जैसे कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न खादी ग्रामोद्योगी योजनाओं और इनके लाभों के बारे में विस्तार से समझाया।

श्री एम. गुरुनाधेस्वर राव, क्षेत्रीय उप निदेशक (एपीपी), विशाखापत्तनम ने सब्सिडी का उपयोग कर सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की।

विशाखापटनम के जिला रोजगार अधिकारी श्री एम. वेंकट रत्नम ने इस अवसर पर आगामी प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को सरकारी नौकरियों के लिए इंतजार करने के बजाय स्व-रोजगार योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी प्रदान देते हुए बताया कि किस प्रकार से सरकारी सहायता प्रदत्त योजनाएं बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें एक सफल उद्यमी बना सकती हैं।

आयोग के विभागीय निदेशक, विशाखापटनम के सहायक निदेशक-।। एंव नोडल अधिकारी श्री आर.श्रीनिवास राव ने पीएमईजीपी योजना के दिशा-निर्देशों और नई ऑनलाइन प्रणाली की जानकारी दी जो कि 01.07.2016 से आयोग द्वारा शुरू की गई है और पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार कार्यक्रम इकाईयों के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की।

श्री रमण, आईपीओ, डीआईसी, विशाखापत्तनम ने एमएसएमई योजनाओं के लिए विस्तारित तकनीकी और वित्तीय सहायता और योजनाओं में विभिन्न चरणों में सब्सिडी के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित थे। कॉलेज के उप प्राचार्य श्री बी.करुणा राव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

लखनऊ में मध्य क्षेत्र की खादी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए खादी सुधार और विकास कार्यक्रम पर कार्यशाला

मध्य क्षेत्र की खादी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए 27 अप्रैल, 2017 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, लखनऊ द्वारा ग्रामीण विकास बैंकिंग संस्थान, लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि राज्यों की विभिन्न खादी संस्थाओ के करीब 180 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्री जय प्रकाश तोमर, सदस्य (मध्य क्षेत्र), खा.ग्रा.आ. ने श्री सत्यपाल, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,खा.ग्रा.आ. की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री जे.पी.तोमर ने कहा कि आयोग ने आश्वासन दिया कि केवीआईसी संस्थाओं की मांग पर सकारात्मक विचार करेगी और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करने के लिए केवीआईसी नियमों के तहत होगा।

आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्यपाल ने कहा कि यह वित्तीय संस्थानों के वित्तीय संकट से उबरने के लिए एक अवसर है।

अपने भाषण में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री अशोक श्रीवास्तव ने एडीबी द्वारा 76 लाख से 1.05 करोड़ के बीच की आवश्यकता सीमा के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी।

खादी सुधार और विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन में खादी संस्थाओं के कार्यक्रमों और भूमिका के उद्देश्यों पर बोलते हुए श्री के.वी. राव, उप निदेशक प्रभारी, आरआईडी ने बताया कि मूल संस्थानों के विकास के लिए 600 संस्थानों को वित्तीय सहायता के लिए चुना जाएगा।

इस अवसर पर आयोग के राज्य निदेशक, लखनऊ श्री आर.एस.पांडे एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा अन्य उपस्थित थे।

दिल्ली के बड़े अस्पतालों को खादी उत्पादों की आपूर्ति

स्वास्थ्य मंत्रालय के फरवरी के आदेश का संज्ञान लेते हुए, मंत्रालय ने लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल जैसे अपने 23 सरकारी अस्पतालों से खादी उत्पादों को उपयोग में लाने हेतु कहा है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग से लगभग 33 लाख रुपए के विभिन्न खादी उत्पादों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है।

आयोग की 643वीं बैठक का कार्यवृत्त

1.खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 643वीं बैठक दिनांक 29 मार्च, 2017 को मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें श्री विनय कुमार सक्सेना-अध्यक्ष, श्री जय प्रकाश तोमर-आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल), श्री जी. चन्द्रमौलि-आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल), डॉ. संगीता कुमारी-आंचलिक सदस्य (पूर्वी अंचल), श्री नारायण चंद्र बोरकाटकी- आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल), श्री अशोक भगत- विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान और विकास), श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता- विशेषज्ञ सदस्य (विपणन), श्री कल्याण राम- उप महाप्रबंधक, एसएमई, भारतीय स्टेट बैंक, श्रीमती ऊषा सुरेश- वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग सदस्य उपस्थिति थे, इसके अलावा अन्य उपस्थित आयोग के अधिकारियों में श्री मोहित जैन- मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री सत्य पाल- संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री के.एस.राव- उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(प्रमंरोसृका/प्रचार/विपणन/आईटी/ एफबी एए /विधिक मामले), श्री वाई.के. बारामतीकर- उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प.अं./क्ष.नि./सं.से./ वि.प्रौ./ एसबीसी/एलआर), श्री डी. धनपाल-उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी/ केपीएम/आरआईडी/अर्थ-अनुसंधान), श्री सत्य नारायण- उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ)/अध्यक्ष के सचिव शामिल थे।

2. इस अवसर पर उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) ने सभी सदस्यों का खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक 29 मार्च, 2017 को मुंबई में आयोजित 643वीं बैठक में स्वागत किया।

3 . आयोग ने सर्वसम्मति से वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों की पूरी टीम को बधाई दी, जिन्होने विमुद्रीकरण सहित, जिसके कारण कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ था, चुनौतियों के बावजूद इतनी अल्प अवधि में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के रु.1100.00 करोड़ के लक्ष्यों को भी पार कर लिया है।

4. बधाइयों को स्वीकार करते हुए, वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय के सभी अधिकारियों, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी), आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारीगणों, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, केवीआईसी के राज्य/मंडलीय कार्यालयों, बैंकिंग साझेदारों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केन्द्रों को धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने इस प्रयास में सहभागिता की और जिनके सक्रिय सहयोग के बगैर ये लक्ष्यांक (मार्जिन मनी के रूप में रु.1280.93 करोड़ संवितरित किए गए) प्राप्त करना संभव नहीं था।

5. आयोग ने अध्यक्ष महोदय के अवलोकनों पर भी सहमति जताई कि इस उपलब्धि से यह साबित होता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी किसी भी बड़ी चुनौती को हाथ में लेने के लिए उच्च तौर से दक्ष हैं, और जिसके परिणामस्वरूप यह समयबद्ध तरीके से संभव हो पाया है।

मद संख्या 01: खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक 27 फरवरी, 2017 को अहमदाबाद में आयोजित 642वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

आयोग ने दिनांक 27 फरवरी, 2017 को अहमदाबाद में आयोजित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 642वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। कार्यवृत्त की पुष्टि के दौरान उठाए गए मुद्दों को अनुलग्नक-I में अवलोकनार्थ रखा गया है।

मद संख्या 02: दिनांक 25 जनवरी, 2017 को आयोजित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 641वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

आयोग ने दिनांक 25 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित आयोग की 641वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर अनुलग्रक-II में रखे 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' से उठे मुद्दों को नोट किया।

मद संख्या 03: खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम - 2006 में संशोधन हेतु प्रस्तावित मसौदे के संबंध में विधि निदेशालय का प्रस्ताव, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोग के विचारार्थ इसके सुझावों/टिप्पणी हेतु अग्रेषित किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोग के विचारार्थ अग्रेषित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम - 2006 में संशोधन हेतु मसौदा संशोधनों पर विधि निदेशालय के प्रस्ताव अनुसार आयोग ने विचार किया और इसके मौजूदा प्रावधानों के संबंध में आयोग के सुझाव/टिप्पणी/निर्णय निम्नानुसार हैं:

धारा/ उपधारा	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित	आयोग का निर्णय
2एच(प)	(एच) "ग्रामोद्योग" का अभिप्राय है- (I) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जो विद्युत के उपयोग से अथवा इसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन करता अथवा सेवा प्रदान करता हो और जिसमें एक कारीगर अथवा एक कार्यकर्ता के ऊपर प्रतिवर्ष निवेश (एक लाख) अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट राजपत्र में अधिसूचित कोई भी अन्य रकम से अधिक न हो, बशर्ते कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधित) अधिनियम, 1987 की शुरूआत से पूर्व किसी भी समय ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में स्थित और ग्रामीण क्षेत्र के रूप में चिन्हित कोई भी उद्योग इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामोद्योग, ही रहेगा, चाहे उपखंड में कुछ भी लिखा हो, बशर्ते कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित किसी भी उद्योग के मामले में इस उपखंड के प्रावधान प्रभावी होंगे जैसे कि 'एक लाख रुपए' शब्दों के स्थान पर 'एक लाख पचास हजार रुपए' शब्द रखे जाएं।	(i) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जो विद्युत के उपयोग से अथवा इसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन करता हो अथवा सेवा प्रदान करता हो और जिसमें एक कारीगर अथवा एक कार्यकर्ता के ऊपर निर्धारित निवेश केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राजपत्र में अधिसूचित कोई रकम होगी, जैसा कि इसके द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया हो। बशर्ते कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधित) अधिनियम, 2015 की शुरूआत से पूर्व किसी भी समय ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में स्थित और ग्रामीण क्षेत्र के रूप में चिन्हित कोई भी उद्योग इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामोद्योग, ही रहेगा, चाहे उपखंड में कुछ भी लिखा हो।"	ग्रामोद्योग के अधीन गतिविधियों के उभरते प्रतिमानों के आलोक में, आयोग ने विस्तार पूर्वक चर्चा के उपरान्त इस पर सहमति व्यक्त की और सभी हितधारकों के हित में प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित किया।

धारा/ उपधारा	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित	आयोग का निर्णय
4(1ए)	इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत जैसा अन्यथा विहित है उसके सिवाय, आयोग के सामान्य अधीक्षण, निर्देश और दैनिक क्रियाकलापों के प्रबंधन सहित इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन आयोग में निहित होगा।	इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत जैसा अन्यथा विहित है उसके सिवाय, आयोग का सामान्य अधीक्षण और निर्देश इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन आयोग में निहित होगा।	आयोग ने केवीआईसी की टीम के समक्ष प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और पूरे मामले पर विचार करने के उपरान्त, आयोग का अवलोकन रहा कि; १) आयोग के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन को केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हाथों में छोड़ देना अत्यंत जोखिम भरा होगा, क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत नियुक्त आयोग के सदस्यों के 'सामूहिक विवेक', जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, और जिनके पास अतिरिक्त कौशल होता है, को नकारा नहीं जा सकता और दिन प्रतिदिन के सफल प्रबंधन संबंधी निर्णयों के लिए आवश्यक है। केवीआईसी की संचालन टीम को कार्य करने तथा आयोग के निर्णयों के अनुरूप योजनाओं को कार्यान्वित करने की जरूरत है जैसा कि केवीआईसी अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। प्रस्तावित संशोधन से अनावश्यक तौर पर शक्ति का केन्द्रीकरण उत्पन्न होगा। इसके अलावा, वर्तमान संरचना में केवीआईसी की सफलता और प्रगति को ध्यान में रखते हुए, आयोग और इसकी टीम यह मानती है कि वर्तमान संरचना को यथानुरूप बिना किसी संशोधन के छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह विपरीत रूप में इसकी कार्यप्रणाली व परिणामों को प्रभावित कर सकता है। आयोग के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित संशोधन पर असहमति जताई जो कि केवीआईसी के हित में नहीं है।

धारा/ उपधारा	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित	आयोग का निर्णय
4(2)(ई) (नया)	(2) आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगेः- .... (ग) एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी - पदेन सदस्य; और (घ) एक वित्तीय सलाहकार, जो आयोग का मुख्य लेखा अधिकारी भी होगा- पदेन सदस्य।	(2) आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगेः- .... (ग) एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी - पदेन सदस्य; और (घ) एक वित्तीय सलाहकार, जो आयोग का मुख्य लेखा अधिकारी भी होगा- पदेन सदस्य; और (ङ) निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी)- पदेन सदस्य।	आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की। आयोग का विचार है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक विशेषज्ञ सदस्य के साथ-साथ ग्रामीण विकास पर विशेषज्ञ सदस्य को पूर्व में ही आयोग में सदस्यों के रूप में केवीआईसी अधिनियम के प्रावधान 4(2)(i)(iii) के अनुसार जोड़ा जा चुका है। आगे केवीआईसी विनियम 2007 का नियम-14 विशेष उद्देश्यों के लिए विभिन्न समितियों और उप-समितियों के गठन हेतु शक्ति प्रदान करता है। आयोग विशेष उद्देश्यों के लिए अन्य व्यक्तियों को सहयोग अथवा सुझाव के लिए नियुक्त कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में आयोग ने प्रस्तावित संशोधन पर असहमति जताई।
5(1ए)	उपधारा (1) में उल्लिखित शक्तियों और कार्यों को बिना पूर्वाग्रह के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयोग के सामान्य अधीक्षण, निर्देश और प्रबंधन के अंतर्गत ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।	उपधारा (1) में उल्लिखित शक्तियों और कार्यों को बिना पूर्वाग्रह के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयोग के सामान्य अधीक्षण, और निर्देश के अंतर्गत ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।	आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की और पूरे मामले पर विचार करने के उपरान्त अभिमत दिया कि केवीआईसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन शब्द प्रबंधन महत्वपूर्ण और वास्तविक भावना रखता है, और इसलिए इस संशोधन को अनुशंसित नहीं किया जा सकता।
10(4) (नया)	नया उपखंड सम्मिलित किया जाएगा।	एक नया उपखंड (4) निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है- "केन्द्र सरकार लिखित तौर पर प्रलेखित किए जाने के उद्देश्य से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड को अधिक्रमित कर सकता है।".	आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की और अवलोकन किया कि यह केन्द्र सरकार का विशेषाधिकार है कि ऐसे प्रावधानों को निर्दिष्ट करे और अतः इस पर आयोग कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

धारा/ उपधारा	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित	आयोग का निर्णय
16	इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के निबटान में आयोग, केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों से बाध्य होगा।	विलोपित किया जाएगा।	आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की और अवलोकन किया कि इस पर मंत्रालय समुचित विचार करे।
25ए (नया)	नया खंड सम्मिलित किया जाएगा।	"इस अधिनियम के उद्देश्य से केन्द्र सरकार समय समय पर आयोग को ऐसे सामान्य और विशिष्ट निर्देश दे सकती है, जैसा इसे उचित प्रतीत हो, और आयोग ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।"	आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की और अवलोकन किया कि इस पर मंत्रालय समुचित विचार करे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में प्रस्तावित अतिरिक्त संशोधनों का विवरण

2	परिभाषा- (घ) "खादी" का आशय है भारत में हाथ से कते सूती, रेशमी अथवा ऊनी धागे अथवा किन्ही दो के अथवा ऐसे धागों के सभी के मिश्रण से भारत में हाथकरघे पर बुने वस्त्र से है;	(घ) खादी का आशय है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: (i) 'विरासत खादी' जिसका अभिप्राय भारत में हाथ से कते सूती, रेशमी अथवा ऊनी धागे अथवा किन्ही दो के अथवा ऐसे धागों के सभी के मिश्रण से भारत में हाथकरघे पर बुने वस्त्र से है; (ii) 'नियो खादी' का अभिप्राय भारत में हाथ से परिचालित चरखों से अथवा सौर उर्जा से चालित अथवा किसी अन्य नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से प्राकृतिक रेशों से कते/बुने हुए वस्त्र से है।.	आयोग ने प्रस्ताव पर विचार किया और खादी की मौजूदा परिभाषा में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, सौर चरखे से बने यार्न का उपयोग करके तैयार किए गए कपड़े के संबंध में, इसे अधिनियम में अलग से परिभाषित करने का निर्णय लिया गया। सौर वस्त्र का अर्थ है भारत में सौर अथवा पवन ऊर्जा से चरखे पर सूती, सिल्क या ऊनी या किसी भी दो या सभी या मानव निर्मित फाइबर यार्न के मिश्रण से भारत में चरखे से निर्मित सूत से भारत में बने सूत से हाथ से तैयार कपड़ा।

धारा/ उपधारा	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित	आयोग का निर्णय
15	आयोग के कार्य (2)(ए) निल	आयोग के कार्य (2) (क) अधिनियम में मौजूद प्रावधानों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार, आयोग किसी ऋणकर्ता को ऋण की राशि के बराबर के मूल्य में ऋणकर्ता द्वारा आयोग के पक्ष में चल और अचल, मौजूदा एवं भावी संपत्ति के गिरवीनामें के रूप में प्रतिभूति सृजित किए जाने की शर्त पर, राशि उधार अथवा अग्रिम के तौर पर दे सकता है, जैसा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ऋण नियम के परिभाषित किया गया है, और ऐसे नियम व शर्तों के अधीन जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हो। **(औचित्यः वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि यह संस्थाओं को उन्हें प्रदान किए गए ऋण के सापेक्ष कोई प्रतिभूति सृजित करने के लिए जोर दे सके।)**	आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की और निर्देशित किया कि उक्त हेतु समुचित प्रावधानों को केवीआईसी नियमों अथवा केवीआईसी ऋण नियमों में समाविष्ट किया जा सकता है। निदेशक (विधि मामले) को इस पर पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
18	1(ख) उपधारा (1) के अंतर्गत जमा राशिः- (क) खादी निधि को खादी से संबंधित उद्देश्य हेतु अनुप्रयुक्त किया जाएगा, (ख) ग्रामोद्योग निधि को ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प उत्पादों के उद्देश्य हेतु अनुप्रयुक्त किया जाएगा, (ग) सामान्य और विविध निधि को, खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित उद्देश्य हेतु तथा आयोग के सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं अन्य पारिश्रमिक तथा आयोग के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु अनुप्रयुक्त किया जाएगा।	1(ख) उपधारा (1) के अंतर्गत जमा राशिः- (क) खादी निधि को खादी से संबंधित उद्देश्य हेतु अनुप्रयुक्त किया जाएगा, (ख) ग्रामोद्योग निधि को ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प उत्पादों के उद्देश्य हेतु अनुप्रयुक्त किया जाएगा, (ग) सामान्य और विविध निधि को, खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित उद्देश्य हेतु तथा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तों एवं अन्य पारिश्रमिक तथा आयोग के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु अनुप्रयुक्त किया जाएगा।	आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और प्रस्तावित संशोधन पर सहमति दी। आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और प्रस्तावित संशोधन पर सहमति दी।

धारा/ उपधारा	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित	आयोग का निर्णय
नया खंड 18ए	निल	आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को भारत की समग्र निधि से भुगतान किया जाएगा। **(औचित्य: खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और भत्तों की देयता भारत सरकार की समग्र निधि से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था)**	आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और प्रस्तावित संशोधन पर सहमति दी।
19	सी निल	आयोग चाहे तो, उपरोक्त वसूली कार्य के प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर, उधारकर्ता के बैंक को फ्रीज़ करने का अनुरोध कर सकता है और आयोग की देय राशि के भुगतान के रूप में उधारकर्ता के खाते में जमा राशि आयोग को भेजने का अनुरोध कर सकता है। **(औचित्य: हाइपोदीकेशन डीड के प्रावधानों के अनुसार , खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी संस्थाओं के बैंक खातों से अपनी देय राशि के लिए दावा कर सकता है । तथापि, अधिनियम में विशिष्ट शक्तियां न होने के कारण, बैंक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ऐसे अनुरोध को अस्वीकृत का देता है। इस प्रकार के प्रावधानों से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग चूककर्ता संस्थाओं के बैंक खातों से अपनी देय राशि की वसूली कर सकता है)**	आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की और अवलोकन किया कि खातों को फ्रीज़ करने के लिए व्यापक अधिकार देना उचित नहीं होगा । तथापि, इस तरह की कार्रवाई के लिए ऐसे मामलों की एक सूची तैयार की जा सकती है और साथ ही बैंकिंग प्रावधानों का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। उक्त हेतु समुचित प्रावधानों को केवीआईसी नियमों अथवा केवीआईसी ऋण नियमों में समाविष्ट करने हेतु पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

धारा/ उपधारा	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित	आयोग का निर्णय
अनुसूची की क्रम सं. 24	"पॉलीवस्त्र" का अभिप्राय उस कपड़े से है जो भारत में मानवनिर्मित रेशे के साथ कपास, रेशम अथवा ऊन अथवा किन्हीं दो के साथ अथवा इनमें से सभी के मिश्रण अथवा मानवनिर्मित रेशे के मिश्रण से हाथकते धागे से या तो सूती, रेशमी अथवा ऊनी हाथकते धागे अथवा उन धागों के किन्हीं दो के साथ अथवा उनमें से सभी के मिश्रण से हाथकते धागे से भारत में हथकरघे पर बुना गया है।	"पॉलीवस्त्र" का अभिप्राय ऐसे वस्त्र से है जो भारत में हाथकते किसी प्राकृतिक रेशे से हथकरघे पर तैयार किया गया हो। **(औचित्य: यह सौर चरखे की शुरुआत मे बाद खादी की परिभाषा में प्रस्तावित बदलाव का क्रमिक बदलाव है)।**	आयोग ने प्रस्ताव पर चर्चा की और यह निर्णय लिया गया कि पॉलीवस्त्र की मौजूदा परिभाषा में कोई भी परिवर्तन न किया जाए।
29	नया प्रावधान।	न्यायालयों का क्षेत्राधिकार: खादी और ग्रामोद्योग आयोग और/अथवा इसके प्राधिकारियों के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही विशिष्ट तौर पर मुंबई स्थित न्यायालयों अथवा ऐसे किसी स्थान पर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन इस संबंध में की जाएगी, जैसा कि केन्द्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। **(औचित्य: मुखालय (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई में स्थित है सभी प्राधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय में उपलब्ध हैं । सभी आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य, नीतिगत मामले, कार्यक्रम संबंधी मुद्दे केंद्रीय कार्यालय में देखे जाते हैं। वर्तमान में अदालती मामले पूरे देश में चल रहे हैं, जिन पर समुचित ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के विधिक मामलों को देखने के लिए फील्ड में योग्य अधिकारी भी नहीं हैं । अदालती मामलों को केंद्रीय कार्यालय में देखें से उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग और देखरेख की जा सकेगी)**	आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और प्रस्तावित संशोधन पर सहमति दी।

मद संख्या 04: दिनांक 25.01.2017 को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी वित्त समिति (खादी) 2016-17 की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

आयोग ने दिनांक 25.01.2017 को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी वित्त समिति (खादी) 2016-17 की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद संख्या 05: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषयः

मद संख्या 5.1: 24 परगना मधुमक्खी पालक सोसायटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के पक्ष में रु.3,97,160.73 के दंडात्मक ब्याज को माफ करने के लिए वन आधारित उद्योग निदेशालय का प्रस्ताव।

1.आयोग ने 24 परगना मधुमक्खी पालक सोसायटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के पक्ष में रु.3,97,160.73 के दंडात्मक ब्याज को माफ करने के लिए वन आधारित उद्योग निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और निर्देशित किया कि आयोग की आगामी बैठक में और अधिक जानकारी प्रस्तुत की जाए, जैसे कि (1) संस्थाओं को स्वीकृत किए गए ऋण एवं जारी किए जाने संबंधी विवरण, (2) पुनर्भुगतान विवरण, (3) सामान्य तौर पर लगाया जाने वाला ब्याज और संस्था द्वारा अदा किया गया ब्याज, (4) संस्था पर प्रभारित किया जाने वाला दंडात्मक ब्याज और इसे प्रभारित किए जाने का कारण, (5) संस्था द्वारा अदा किया गया दंडात्मक ब्याज, यदि कोई हो, और इसका बकाया, (6) दंडात्मक ब्याज को माफ करने हेतु इसे अब प्रस्तावित करने के कारण, (7) जारी किए गए ऋण के लिए स्वीकृत योजना की वर्तमान स्थिति, और (8) संस्था की वर्तमान स्थिति।

कार्रवाईः कार्रवाईः उप-मु.का.अ. (ग्रामोद्योग)
निदेशक (एफबीआई)

मद संख्या 5.2: मानद परामर्शदात्री/सलाहकार (खादी संवर्धन) के रूप में सुश्री ऋतु बेरी की सेवाओं की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने के संबंध में विपणन निदेशालय का प्रस्ताव।

1. आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी के पत्र संख्या 14 / 15.3.2016 के माध्यम से अवगत मौजूदा नियमों और शर्तों पर 15.3.2017 से 14.3.2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सुश्री रितु बेरी, मानद सलाहकार / सलाहकार (खादी संवर्धन) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि बढ़ाने के लिए विपणन निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और इसे अनुमोदित किया।

2. आयोग ने खादी विचार वस्त्र की एक नई शृंखला की शुरूआत हेतु सुश्री रितु बेरी द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

3. आयोग ने लोकप्रिय फिल्मों की श्रृंखला में और अग्रणी हस्तियों को 'खादी फॉर फैशन' के लिए समर्थन में लाने हेतु तथा युवाओं को खादी फैशन व डिजाइनर परिधानों को संवर्धित करने के लिए आकर्षित करने हेतु अग्रणी फैशन मॉडलों को शामिल करते हुए प्रीमियम फैशन शो के आयोजन के लिए सुश्री ऋतु बेरी के प्रयासों की सराहना की। आयोग ने आगे निर्देशित किया कि आयोग की इस सराहना से सुश्री ऋतु बेरी को अवगत कराया जाए।

4. आयोग ने आंचलिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर डिजाइन आगतों की कार्यशाला का आयोजन सुश्री ऋतु बेरी के मार्गदर्शन में करने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया, जिससे कि पूरे देश भर में इससे खादी संस्थाओं को लाभ मिल सके।

कार्रवाईः उप-मु.का.अ. (विपणन)
निदेशक (विपणन)

मद संख्या 5.3: माई गवर्नमेंट मर्केन्डाइज स्टोर ई-पोर्टल के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन की शुरूआत के संबंध में विपणन निदेशालय का प्रस्ताव।

1. आयोग ने ई-कॉमर्स पोर्टल ऑफ माईगोव मर्चेंडाइज स्टोर के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की शुरुआत करने के लिए विपणन निदेशालय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया।

2. आगे, आयोग ने सभी वर्गों की खादी संस्थाओं के लिए इस प्रस्ताव को जारी रखने का फैसला किया, जो कि प्रीमियर केवीआई उत्पादों का उत्पादन करते हैं।

3. आयोग ने अप्रैल, 2017 के दौरान सभी विभागीय बिक्री केन्द्रों की समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया।

कार्रवाईः उप-मु.का.अ. (विपणन)
निदेशक (विपणन)

मद संख्या 5.4: श्री सुब्रतो दास, पूर्व प्रबंधक-III की विशेष कार्याधिकारी के रूप में सेवाओं को 22.02.2017 से 21.02.2018 तक एक वर्ष और बढ़ाने के संबंध में विपणन निदेशालय की समीक्षा टिप्पणी।

आयोग ने श्री सुब्रतो दास, पूर्व प्रबंधक-III की विशेष

कार्याधिकारी के रूप में सेवाओं को 22.02.2017 से 21.02.2018 तक एक एक वर्ष और बढ़ाने के संबंध में विपणन निदेशालय के प्रस्ताव को मौजूदा निबंधनों और शर्तों के आधार पर नोट किया, जैसा कि पूर्व में उन्हें आदेश संख्या एमकेटी/ओएसडी/एस.दास/2015-16/863 दिनांक 22/29.02.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

कार्रवाईः उप-मु.का.अ. (विपणन)
निदेशक (विपणन)

मद संख्या 5.5: वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों (योजनागत एवं योजनेत्तर) हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए बजट निदेशालय का प्रस्ताव, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया है और विभिन्न कार्यक्रम निदेशालयों के बीच उक्त का अस्थायी संवितरण करना।

आयोग ने वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों (योजनागत एवं योजनेत्तर) हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए बजट निदेशालय का प्रस्ताव पर चर्चा की और अनुमोदन प्रदान किया, जैसा कि इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया है और उक्त का निम्नलिखित अवलोकनों के साथ विभिन्न कार्यक्रम निदेशालयों के बीच अस्थायी संवितरण किया जाना हैः

1.वर्ष 2017-18 हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट अनुमान केवल रु.1642.38 करोड़ है जो कि वर्ष 2016-17 हेतु मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत रु.1666.50 करोड़ से कम है।

2. ग्रामोद्योग में प्रबल संभावनाओं के क्षेत्र जैसे कि मधुमक्खीपालन उद्योग इत्यादि, का ध्यान रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया कि इस संबंध में पूर्ण औचित्यों व बढ़ी हुई उत्पादकता तथा ग्रामोद्योग गतिविधियों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कम से कम रु.100.00 करोड़ की समग्र निधि प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संपर्क किया जाए, जिसमें से रु.50.00 करोड़ को मधुमक्खीपालन गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि इस प्रयास से न केवल पोषणीय रोजगार अवसरों को सृजन होगा, बल्कि इससे ग्रामीण कारीगरों की अर्जन क्षमता में बढ़ोतरी भी होगी।

3.आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) के अवलोकनों को भी नोट किया कि प्रस्तावित ग्रामोद्योग के अनुमोदित बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों को भी सम्मिलित किया जाए।

4.आयोग ने इसे भी नोट किया कि चूंकि केआरडीपी के अधीन रु.573 करोड़ की आवश्यकता थी, इसके सापेक्ष केवल रु.101.39 करोड़ मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत किया गया है। इसलिए आयोग ने आगे निर्णय लिया कि इस आशय का एक पत्र सरकार को इस अनुरोध के साथ भेजा जाए कि केआरडीपी के बजट को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया जाए।

कार्रवाईः उप-मु.का.अ. (बजट)
निदेशक (बजट)

मद संख्या 5.6: श्री ए.एम.ज़रगर, सहायक निदेशक-II को 1.4.2017 से एक वर्ष की अवधि हेतु सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के संबंध में प्रशासन एवं मानव संसाधन निदेशालय का प्रस्ताव।

आयोग ने श्री ए.एम.ज़रगार, सहायक निदेशक-II को 1.4.2017 से एक वर्ष की अवधि हेतु सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के संबंध में प्रशासन एवं मानव संसाधन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। श्री ए.एम.ज़रगर दिनांक 31.03.2017 को आयोग की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

कार्रवाईः उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

मद संख्या 5.7: गोपणीय

<u>आगामी बैठकः</u>

उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई एवं आयोग की अगली (644वीं) बैठक 25-04-2017 को प्रातः 10.00 बजे एवं स्थायी वित्त समिति की अगली बैठक 26-04-2017 को प्रातः 10.00 बजे नई दिल्ली में करने का निर्णय लिया गया।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

अहमदाबाद में 7 फरवरी 2017 को आयोजित आयोग के 642 वें बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दे

१.मद सं.४(I)(4) : आयोग ने कत्तीनों की मजदूरी को रु. 5.50 से बढ़ाकर रु .7.00 प्रति गुंडी (हेंक) तक करने के मुद्दे पर विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) के अवलोकन पर सहमति

जताई एवं ४(I) के अंतर्गत पैरा सं. ४ की पहली पंक्ति के शब्द “की वृद्धि” को हटाने का निर्णय लिया गया|

पैरे को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

पैरा 4(I)(4). आयोग ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के फरवरी महीने के दौरान वार्षिक आधार पर कत्तीनों / कारीगरों के वेतन की समीक्षा करने का निर्णय लिया|

उप-मु.का.अ.(खादी)

कार्रवाई : निदेशक (खादी)

2. **मद सं. .४(I)(5) : आयोग ने कत्तीनों की मजदूरी को रु .5.50 से बढ़ाकर रु .7.00 प्रति गुंडी(हेंक) करने के मुद्दे पर विशेषज्ञ सदस्य(विपणन) के अवलोकन पर सहमति जताई एवं ४(I) के अंतर्गत पैरा सं. ५ की चौथी पंक्ति के शब्द “प्राप्त” को हटाने का निर्णय लिया|**

पैरे को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

पैरा .4(I)(5) आगे, आयोग ने निर्देश दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय मजदूरी में संशोधन /वृद्धि करने में खादी लागत चार्ट का अनुपलान करें । उक्त प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लागत चार्ट को आंचलिक समिति दारा अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि इसे 0१ अप्रैल से लागू किया जा सके। अनुमोदन हेतु मुंबई में केंद्रीय प्रमाणपत्र समिति को लागत चार्ट अग्रेषित करने की कोई जरूरत नहीं होगी । उप-मु.का.अ.(खादी)

कार्रवाई : निदेशक (खादी)

3. मद सं.४(I)(6) : आयोग ने 4 (I) के अंतर्गत पैरा संख्या ०६ की पहली दो पंक्तियों में उल्लिखित शब्दों “अध्यक्ष के एकल प्रयासों से” को हटाने और ४(I) के अंतर्गत पैरा संख्या 6 की अंतिम पंक्ति में रु.150.00 करोड़ के पश्चात “लगभग” जोड़ने के संबंध में विशेषज्ञ (विपणन) की टिप्पणी पर सहमति जताई।

पैरा अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 4(I)(6). आयोग ने विभिन्न सरकारी / गैर-सरकारी विभागों से केवीआईसी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के आदेश प्राप्त करने और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से अस्पतालों / संस्थाओं में खादी उत्पादों के उपयोग हेतु लगभग 150.00 करोड़ रुपये के आदेश प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष महोदय के प्रयासों की सराहना की।

कार्रवाई: उप मु.का.अ. (खादी)

निदशक (खादी)

4. आयोग की स्थानांतरण नीति:

(1) आयोग ने सदस्य (मध्य क्षेत्र) की टिप्पणियों को नोट किया कि आयोग की वर्तमान बैठक में 'केवीआईसी की स्थानांतरण नीति के मसौदे” को नहीं रखा गया।

(२) इस पर वित्तीय सलाहकार /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चूंकि उन्हें आयोग की बैठक के कुछ मिनट पहले प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था अतः वर्तमान बैठक में उसे प्रस्तुत करना संभव नहीं था।

(3) इस पर विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) ने कहा कि एक बार आयोग की एक विशेष बैठक में प्रस्ताव रखने का निर्देश देने पर आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए और इसकी किसी प्रकार से अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।

(४) सदस्य (मध्य क्षेत्र) ने आयोग को सूचित किया कि जब श्री सिद्धार्थ रॉय निदेशक (प्रशासन) थे तब दोनों प्रारंभिक स्थानांतरण नीति संबंधी दिशानिर्देश" उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत तैयार किए गए थे और "वर्तमान नीति दिशानिर्देश मसौदे" पर अंतिम निर्णय लेने के लिए आयोग अगली बैठक इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(5) आयोग ने सूचना और अवलोकन हेतु सभी सदस्यों (हार्ड/सॉफ्ट कॉपी या ई-मेल) को स्थानांतरण नीति के मसौदे की प्रति देने का निर्देश दिया।

कार्रवाई :उप मु.का.अ.(प्रशासन)

5. संस्थाओं द्वारा भुगतान किए गए "केवीआईसी ऋण" के निपटान के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के संबंध में:

१. आयोग ने राज्य / मंडलीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय केवीआईसी, मुंबई के संबंधित निदेशालयों की ओर से भी ऐसी संस्थाओं, जिन्होंने केवीआईसी ऋण का निबटान कर दिया है, उन्हें एनओसी जारी करने में अनावश्यक देरी पर सदस्य (मध्य क्षेत्र) के अवलोकन को नोट किया और आयोग ने आगामी बैठक निम्न विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे (१) एनओसी जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या (२) जारी की गई एनओसी की संख्या और (३) राज्य / मंडलीय कार्यालयों में लंबित एनओसी की संख्या।

2. यद्यपि, उपरोक्त विवरण आयोग की 643वीं बैठक में रखा जाना था, इस पर वित्तीय सलाहकार / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि आवश्यक आंकड़ों को सभी राज्य / मंडलीय कार्यालयों से एकत्र किया जा रहा है और आयोग की अगली बैठक में इसे रखा जाएगा।

कार्रवाई: निदेशक (खादी)

निदेशक (वीआईसी) निदेशक (लेखा)

6. कॉर्पोरेट संगठनों को थोक आपूर्ति करने और निगमों को दी जाने वाली छूट, जिनका प्रस्ताव कोर्पोरेट्स को दिया जा सकता है, की गणना करने की एक प्रणाली विकसित करने संबंधी मुद्दे

1. आयोग ने सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) की टिप्पणी को नोट किया कि अहमदाबाद में आयोजित आयोग की 642वीं बैठक में ओएनजीसी और थोक आपूर्ति छूट के मुद्दे पर 'आयोग के स्वप्रेरणा फैसले' के तहत की गयी उनकी टिप्पणियों को कार्यवृत में दर्ज नहीं किया गया है। इस पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) ने स्पष्ट किया कि साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में कोई ऑडियो सिस्टम नहीं था, इसलिए सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) के विचार गलती से छूट गए हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग की कमी के कारण उनको शामिल नहीं किया जा सका।

2. अतः, आयोग ने निर्देश दिया कि भविष्य में आयोग के सभी बैठकों में एक अंग्रेजी और एक हिंदी आशुलिपिक उपस्थित रहें, जो सदस्यों के विचार रिकॉर्ड करेंगे और बैठक में उपस्थित आयोग के सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु बैठक के अंत में लिये गए सभी निर्णयों को पढ़कर सुनाएंगे।

3. सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) को सूचित किया गया था कि संबंधित मुद्दों को विपणन निदेशालय द्वारा 'कॉर्पोरेट संगठनों को थोक आपूर्ति' पर जारी किए गए परिपत्र में पहले ही सूचित किया गया है।

4. आयोग ने सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) की टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की कि सभी डीएसओ को कॉर्पोरेट संगठनों को थोक आपूर्ति में शामिल किया जाना चाहिए और कॉर्पोरेट संगठनों के थोक आदेशों के मामले में दी जाने वाली छूट की कुल मात्रा तय करने के लिए उचित तंत्र होना चाहिए। उक्त के संबंध में आयोग ने अगली बैठक में एक विस्तृत नीति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

5. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) ने आयोग को सूचित किया कि मैसर्स ओएनजीसी से प्राप्त रुपये 52.00 करोड़ की राशि का आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था और खादी ग्रामोद्योग भवन ने के मार्जिन को कम करके तथा एमडीए आदि जैसे अन्य साधनों द्वारा ओएनजीसी को अधिक से अधिक छूट देने का प्रयास किया गया है।

6. अध्यक्ष महोदय ने आयोग को बताया कि हालांकि केवीआईसी ने इस लेन-देन में लगभग 2% का ही मार्जिन रखा है, लेकिन ओएनजीसी के कठोर नियम और विशाल प्रमात्रा में आदेश को ध्यान में रखते हुए, ओएनजीसी के साथ मौजूदा समझौता दूसरे कॉर्पोरेटस को भी अनुपालन हेतु एक मिसाल होगी, जो न केवल आपूर्ति करने वाले संस्थाओं के नकदी प्रवाह को बढ़ाएगा बल्कि ओएनजीसी जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों के साथ व्यापार करने हेतु 'सबसे पसंदीदा संरक्षक' के रूप में बनाए रखने में भी मदद करेगा।

7. आयोग ने पिछली बैठक में सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा की गई टिप्पणी का भी अवलोकन किया कि राजामुन्द्री, आंध्रप्रदेश में आयोजित खादी प्रदर्शिनी के बारे में उन्हें कोई सूचना / निमंत्रण नहीं दिया गया और प्रदर्शिनी के बारे में उन्हें दो दिन बाद पता चला। अतः आयोग ने अपने पूर्व के निर्णय को दोहराया कि जब भी प्रदर्शनी या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोग के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में आयोजित किया जाता है तो संबंधित राज्य / मंडलीय निदेशकों को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित क्षेत्रीय के आयोग के सदस्य को भी ऐसे आयोजनों के बारे में सूचित किया जाए और इस तरह के आयोजनों में संबंधित क्षेत्र के आयोग के सदस्यों को आमंत्रित किया जाए। उक्त के संबंध में सभी फील्ड कार्यालयों को विशिष्ट दिशा –निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

कार्रवाई : उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(विपणन)

निदेशक (विपणन)

उप मु. का. अ.(प्रशासन) क्रम सं.2 एवं 7 हेतु

7. 27 सितंबर, 2017 को अहमदाबाद में आयोजित आयोग की 642वीं बैठक के कार्यवृत के बारे में संयुक्त सचिव (एआरआई) की टिप्पणी:

आयोग ने अहमदाबाद में 27 फरवरी 2017 को आयोजित आयोग की 642 वीं बैठक के कार्यवृत के बारे में संयुक्त सचिव (एआरआई) द्वारा दिनांक 28.3.2017 को ई-मेल के माध्यम से वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी

अधिकारी को प्रेषित टिप्पणी को नोट किया जो निम्नानुसार है :--

7.1 कत्तीनों की मजदूरी को रु. 5.50 प्रति गुंडी (हैंक) से बढ़ाकर रु.7.00 प्रति गुंडी (हैंक) करने के संबंध में

1. संयुक्त सचिव ने अवगत कराया कि इस बात की पहले ही सूचना दे दी गयी है कि आयोग को उचित जांच के बिना वित्तीय निहितार्थ के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और इसे तब तक कार्यान्वित न किया जाए जब तक कि मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती। इसे देखते हुए, आयोग ने अपनी 642 वीं बैठक में कत्तीनों की मजदूरी को रु. 5.50 प्रति गुंडी (हैंक) से बढ़ाकर रु.7.00 प्रति गुंडी (हैंक) करने के निर्णय को आस्थगित रखा जाए।

2. इस संबंध में विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) और सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) ने कहा कि आयोग द्वारा कत्तीनों की मजदूरी को रु. 5.50/-प्रति गुंडी से बढ़ाकर रु.7.00 प्रति गुंडी करना एक प्रबुद्ध निर्णय है ताकि स्पिनरों की कमाई में बढ़ोतरी हो और उनका कल्याण हो और अन्य विकास एजेंसियों के समान ही खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र में काम कर रहे स्पिनरों को भी मजदूरी मिल सके, जिससे खादी ग्रामोद्योगी सेक्टर की ओर अधिक से अधिक स्पिनरों को आकर्षित किया जा सके, जो अंततः खादी ग्रामोद्योगी सेक्टर में खादी उत्पादन की प्रमात्रा को बढ़ाने में सहायक होगा।

३. आगे, आयोग ने कहा कि यह निर्णय को स्पिनरों के कल्याण के लिए लिया गया था और यह आयोग की शक्तियों के भीतर था, इसलिए निर्णय को रोक कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. आयोग ने वित्तीय सलाहकार / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अवलोकनों को नोट किया कि जब भी किसी खर्चे में अचानक बढ़ोतरी होती है, जिसे मंत्रालय द्वारा वहन किया जाना है, तो इस संबंध में औचित्य दिया जाना चाहिए कि प्रस्ताव को पहले तैयार क्यों नहीं किया जा सका, क्योंकि मंत्रालय का वित्त प्रभाग बजट को अंतिम रूप देने के लिए व्यय विभाग के साथ मिलकर काम करता है, जिसे इसके बाद संसद में मंजूरी के लिए रखा जाता है। मंत्रालय के लिए एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि किए गए सभी खर्च बजट अनुमोदन के भीतर और अनुमोदित गतिविधियों के लिए रखे।

5. वित्तीय सलाहकार / मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह भी बताया कि वित्तीय निहितार्थ वाले ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को डाटा अवश्य रखा जाना चाहिए जैसे कि (1) विभिन्न राज्यों में कत्तीनों और बुनकरों की मजदूरी की स्थिति (2) ऐसे राज्य जहां मजदूरी समुचित है, जैसे गुजरात और केरल (3) ऐसे राज्य जहां मजदूरी बहुत कम है आदि और एक समेकित प्रस्ताव तैयार कर अच्छी तरह से जांच करने के पश्चात अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष रखा जाए, ताकि प्रस्ताव की आवश्यकता के संबंध में औचित्य के साथ मंत्रालय को आश्वस्त किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने नीतिगत निर्णय लेने से पूर्व हितधारकों से भी परामर्श करने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि हितधारकों की भागीदारी के बिना किसी भी निर्णय को संस्थाओं पर लागू करने से कठिनाई हो सकती है।

६. वित्तीय सलाहकार / मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आगे कहा कि चूंकि मंत्रालय के पास सीमित बजट है और वर्तमान प्रस्ताव में रुपये 47.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय शामिल होगा। अतः इस तरह के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु मंत्रालय को समर्थन देने हेतु अतिरिक्त आईआरजी सृजित करने के लिए केवीआईसी को प्रयास करने होंगे।

कार्रवाई :उप मु. का. अ.(खादी)
निदेशक (खादी),निदेशक (बजट)

7.2 बंद खादी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

१. संयुक्त सचिव ने अवगत कराया है कि इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है कि आयोग को उचित जांच के बिना वित्तीय निहितार्थ के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और इसे तब तक कार्यान्वित न किया जाए जब तक कि मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती।

२. इस संबंध में आयोग ने अवलोकन किया कि एक बारगी वृद्धि से संबंधित प्रोत्साहन राशि डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और केवीआईसी के केवल एक या दो चुने हुए अधिकारियों के लिए एक बारगी प्रोत्साहन होने के कारण प्रस्ताव पर ज्यादा खर्च नहीं आएगा और चूंकि यह पहल मृत संस्थाओं को पुनर्जीवित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और खादी ग्रामोद्योगी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगी, आयोग ने मंत्रालय के अवलोकन को अस्वीकार करने और

प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

कार्रवाई:निदेशक (खादी)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)
बिन्दु क्रमांक २ हेतु

7.3 कार्यसूची मद सं. 8.2: सरकारी आपूर्ति के अंतर्गत दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के लिए दर संविदा और गैर दर संविदा मदों के लिए चयनित खादी संस्थाओं से रु. 5000/- प्रति उत्पाद की दर से पंजीकरण शुल्क प्रभार लेने के संबंध में विपणन निदेशालय का प्रस्ताव।

1. संयुक्त सचिव ने सुझाव दिया है कि आयोग द्वारा पंजीकरण शुल्क लेने से संबंध में लिए गए निर्णय के अलावा, पूरी पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ऑन लाइन बनाया जाना चाहिए, ताकि खादी संस्थाएं किसी भी परेशानी के बिना खुद को पंजीकृत कर सके। उन्होने यह भी सुझाव दिया कि बिना किसी पूर्वाग्रह के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं / खादी संस्थाओं को आपूर्ति आदेश देने हेतु एक पारदर्शी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

2. आयोग ने संयुक्त सचिव के सुझाव पर सहमति व्यक्त की और खादी संस्थाओं द्वारा आपूर्ति की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के प्रयासों में तेजी लाने का निर्णय लिया। कार्रवाई :निदेशक (विपणन)

कार्यसूची मद सं. 8.3: डीजीएस एंड डी को 5% कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने हेतु विपणन निदेशालय का प्रस्ताव

1. संयुक्त सचिव ने अवलोकन किया है कि डीजीएस एंड डी के साथ दर संविदा करते समय विपणन निदेशालय का प्रस्ताव सरकारी आपूर्ति आदेश के कुल मूल्य पर डीजीएसएंडडी को 5% कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करना है।उन्होने सुझाव दिया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्राप्त आदेश के वास्तविक मूल्य पर केवल ५% कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रदान की जानी चाहिए न कि अपेक्षित आदेश के कुल मूल्य पर। इससे यह सुनिश्चित होगा कार्यनिष्पादन प्रतिभूति केवल ऐसे आदेशों के लिए दी जाती है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उन खादी संस्थाओं से कार्यनिष्पादन प्रतिभूति ले लेनी चाहिए जिन्हें आपूर्ति आदेश दिया गया है । अगर कार्यनिष्पादन प्रतिभूति अनुमानित मूल्य या अपेक्षित आदेशों के कुल मूल्य पर दी जाती है तो यह केवीआईसी के साथ-साथ खादी संस्थाओं / आपूर्ति संस्थाओं के लिए अनावश्यक बोझ होगा।

2. इस संबंध में आयोग ने अध्यक्ष महोदय के अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की कि यदि कार्यनिष्पादन प्रतिभूति आपूर्ति करने वाली संस्थाओं से अग्रिम रूप से ली जाती है तो ऐसी स्थिति में डीजीएस एवं डी से आदेश प्राप्ति के तत्काल बाद बिना समय गवाएं कार्यनिष्पादन प्रतिभूति निष्पादित की जा सकता है, इससे संस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर माल वितरित करे सकेंगी।

3. आयोग ने वित्तीय सलाहकार / मुख्य कार्यकारी अधिकारी की टिप्पणियों के साथ भी सहमति जताई और स्वीकृत निविदा आपूर्ति करने वाली संस्थाओं से परामर्श करके कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की निबंधन और शर्तें पर नीति तैयार करने का निर्देश दिया।

4. आयोग ने निदेशक (वित्त) की टिप्पणियों पर भी सहमति जताई है कि आपूर्ति करने वाली संस्थाओं से 'बैंक गारंटी' के रूप में "कार्यनिष्पादन प्रतिभूति " प्राप्त करने में संस्थाओं की निधि अवरुद्ध करना शामिल नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि यह केवल निष्पादन में कमी पर लागू होगा।

कार्रवाई :उप मुख्य कार्यकारी
अधिकारी निदेशक निदेशक (विपणन)

7.5 कार्यसूची मद सं. 8.7: निधियों के भुगतान एवं प्राप्ति संबंधी मासिक लेखा का संक्षिप्त विवरण

१. संयुक्त सचिव ने कहा कि समय-समय पर यह सुझाव दिया गया है कि मासिक लेखा के साथ-साथ कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की वास्तविक प्रगति को भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत एवं समीक्षा की जानी चाहिए।

२. आयोग ने संयुक्त सचिव की टिप्पणियों के साथ सहमति जताई और आयोग की बैठकों में निधियों के भुगतान एवं प्राप्ति संबंधी मासिक लेखा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते समय कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की वास्तविक प्रगति उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश दिए।

कार्रवाई :उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (लेखा)
निदेशक (लेखा)

****

अनुलग्नक-II

आयोग की दिनांक 25 जनवरी 2017 को सम्पन्न 641वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दे।

I.मद संख्या 2.2(1): एक वर्ष के भीतर खादी संस्थाओं की एकाधिक लेखा-परीक्षा:

1.एक वर्ष के भीतर एकाधिक लेखा-परीक्षित खादी संस्थाओं के विवरण की जानकारी सदस्य (मध्य अंचल) को उपलब्ध कराने संबंधी मुद्दे पर वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह कहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा संबन्धित जानकारी प्राप्त हो जाने पर इसे आयोग की बैठक में सूचनार्थ रखा जाएगा

कार्रवाई :
निदेशक (लेखा-परीक्षा)

II. मद संख्या: 6 (6) मधुमक्खी पालन विकास मिशन पर पाँच वर्ष की अवधि हेतु कार्य-योजना तैयार करना तथा इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को अग्रेषित करना।

1.आयोग ने वर्तमान केंद्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरटीआई), पुणे को पूर्व की भांति एशिया के उत्कृष्ट मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान के रूप में पुनः स्थापित करने हेतु कार्य-योजना तैयार करने संबंधी सदस्य (मध्य अंचल) की टिप्पणी को नोट कर अनुमोदन प्रदान किया।

2.इसके बाद, सदस्य (मध्य अंचल) ने आयोग को यह जानकारी दी है कि यद्यपि मधुमक्खी पालन उद्योग अभी कुछ दशकों पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग था परन्तु खादी और ग्रामोद्योग आयोग में मधुमक्खी-पालन की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसलिए आयोग ने मधुमक्खी पालन उद्योग को जीवंत करने तथा इसे पूर्व की भांति पुनः गौरवपूर्ण स्थिति में लाने हेतु प्रभावी उपायों/साधनों को तैयार करने संबंधी सदस्य (मध्य अंचल) के सुझावों को अनुमोदन प्रदान किया।

3.आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) की इस टिप्पणी को काफी गंभीरता से लिया कि सीबीआरटीआई, पुणे के पदाधिकारी न केवल संबंधित क्षेत्र की वर्तमान बुनियादी वास्तविकता से पृथक/विरक्त हुए हैं अपितु वे मधुमक्खी पालन परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली अनुवर्ती सेवाओं से भी पूरी तरह से अनभिज्ञ हो गए हैं। उन्होनें यह उल्लेख किया है कि मधुमक्खी पालन विस्तार केंद्र, ग्राम-विजयराय, विजयवाड़ा के पास, आंध्रप्रदेश की एक इकाई को सीबीआरटीआई पुणे द्वारा हनी-जेली पर एक परियोजना हेतु वर्ष 1996 में रु 18.00 लाख की निधि स्वीकृति की गई थी। राज्य निदेशक को जानकारी दिये बगैर ही सेंटर को आवश्यक मशीनरी भेजी गई थी तथा संबन्धित केंद्र में कोई भी यह नहीं जानता था कि मशीनरी कहाँ संस्थापित की जानी है।फलस्वरूप, मशीनरी वहाँ के कमरों में निरर्थक रूप से रख दी गई थी, जो आज भी वहाँ पड़ी हुई है। तदनंतर, सदस्य (दक्षिण अंचल) ने यह टिप्पणी की है कि मधुमक्खी पालन केंद्र में मौजूदा आधारभूत सहायता के अलावा ०२ स्थायी कर्मचारी पदस्थ हैं, इसलिए हनी जेली संबंधी परियोजना की शुरुआत नहीं हो सकी। उन्होनें यह भी जानकारी दी कि स्थानीय ग्राम पंचायत से मशीनों के भंडारण व कार्यशील बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4.अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मधुमक्खी पालन गतिविधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोजगार सृजन गतिविधि है। इसके प्रति भारत सरकार का रवैया काफी सकारात्मक है तथा सरकार इसके निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी शुरुआत मिशन मोड पर की जानी है। चूंकि, मधुमक्खी पालन उद्योग न केवल शहद उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक है अपितु इससे रॉयल जेली, बी वेनम, बी वैक्स इत्यादि उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं तथा यह उत्कृष्ट परागण एजेंट का भी कार्य करता है, जो कि कृषि व बागवानी पैदावार/उपज को कई गुना बढ़ाने में अत्यंत सहायक होता है। इसलिए, शहद न केवल कृषक-वर्ग के लिए अपितु यह पर्यावरण स्थिरता के लिए भी एक वरदान है।

5.आयोग ने अध्यक्ष के इस सुझाव से सहमति व्यक्त की है कि ट्रेड की जटिलताओं/बारीकियों पर जानकारी देने की दृष्टि से मधुमक्खी पालन पर राष्ट्रीय कार्यशाला/सम्मेलन का आयोजन अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा परंतु वर्तमान परिवेश को देखते हुए, ग्रामवासियों, किसानों, मधुमक्खी पालकों, शहद इकट्ठा करने वाले आदिवासियों, विद्यार्थियों, संस्थाओं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के एनजीओ इत्यादि के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु मधुमक्खी पालन पर एक वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

6. अध्यक्ष ने आयोग को यह भी सूचित किया है कि मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को नई दिल्ली शहर में मिशन मोड पर आरंभ करने का प्रस्ताव रखा गया था, जहां अगले वित्तीय वर्ष में करीब 5000 बी-बॉक्स लगाए जाएंगे तथा दिल्ली शहर व दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में स्थित पार्क/बगीचों/रिज़ॉर्ट/होटलों/लॉन इत्यादि में बी- बॉक्स लगाए जाएंगे। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है।

7. इसके बाद, उन्होनें यह जानकारी दी है कि 100 बी-बॉक्स लगाने से 2000 किलोग्राम शहद का उत्पादन तो होगा ही तथा साथ ही साथ परागण की भी सुविधा होगी और शहद से निर्मित किए जाने वाले सहायक उत्पाद भी तैयार किए जा सकेंगे।

8. सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल) के सुझाव के अनुसार, आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के मेघालय राज्य में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

9. आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि आंध्रप्रदेश में स्वयं सहायता समूह ने करीब 75 महिलाओं को विजयराय स्थित मधुमक्खी पालन विस्तार केंद्र पर मधुमक्खी पालन उद्योग में प्रशिक्षित किया गया। पीएमईजीपी कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमक्खी पालन गतिविधियों हेतु आंध्रप्रदेश तथा उपरोक्त सभी महिलाओं को रु 2.00 लाख (प्रत्येक) की निधि प्रदान की गई। तदनंतर, उन्होनें यह जानकारी दी है कि चूंकि, विभिन्न राज्यों में फ्लोरल सीजन व हैबिटेट्स में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को सम्पूर्ण देश के लिए फ्लोरल सीजन के कैलेंडर को तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कि मधुमक्खी पालक बॉक्स को एक फ्लोरल सीजन क्षेत्र से दूसरे फ्लोरल सीजन क्षेत्र तक ले जा सकें। इससे शहद-उत्पादन में अत्यंत प्रभावी वृद्धि होगी तथा यह योजना पूरी तरह लाभप्रद सिद्ध होगी।

10. आयोग ने वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिये गए इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि विभिन्न स्थानों पर शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि शहद उत्पादकों व शहद निर्यातकों द्वारा शहद के कंटेंट्स व शुद्धता की जांच न्यूनतम शुल्क पर की जा सके। इससे यीस्ट, पराग, असंतुलित शुगर व एंटिबायोटिक्स इत्यादि से संक्रमित हानिकारक शहद का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।

11. आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) के इस सुझाव से सहमति व्यक्त की है कि नई दिल्ली में मधुमक्खी पालन पर एक दिवसीय सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें मधुमक्खी पालन क्षेत्र के विशिष्ट वैज्ञानिक, डीएसटी सहित सभी पणधारी, बी-बोर्ड, बी-उत्पादों के एपीईडीए निर्यातक, ट्रेडर्स, थोक विक्रेता इत्यादि संबन्धित व्यवसाय/ट्रेड से जुड़ी जटिलताओं/समस्याओं पर परस्पर चर्चा करते हुए मधुमक्खी पालन उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देंगे।

12. आयोग ने सदस्य (पूर्वी अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि कुछ समय पूर्व बिहार की खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं का मधुमक्खी पालन व्यवसाय काफी फल-फूल रहा था तथा मुजफ्फरपुर के एक गाँव में करीब 3500 बॉक्स पाये गए थे, परंतु वर्तमान में वहाँ एक भी बॉक्स नहीं हैं। आयोग ने मधुमक्खी पालन कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार पूरे देश में करने तथा बंद खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं को पुनः शुरू करने के लिए सभी राज्य/मंडलीय कार्यालयों के निदेशकों को इसमें शामिल करने संबंधी सदस्य (पूर्वी अंचल) के सुझाव से सहमति व्यक्त की।

13. आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास) की इस टिप्पणी को नोट किया कि मधुमक्खी पालन हॉर्टीकल्चर उद्योग में काफी समानता है तथा समय व जलवायु में परिवर्तन होने के साथ-साथ फसल की किस्म में भी परिवर्तन हो गया है, बी बॉक्स भी बदल गए हैं तथा मधुमक्खियों की शारीरिक संरचना(बनावट) में भी बदलाव हुआ है। इस प्रकार,बदलते हुए(परिवर्तनशील) परिदृश्य को देखते हुए, इस ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त पॉलिसी तैयार की जानी चाहिए। उन्होनें यह भी सूचित किया है कि यह हनी-बी उन फसलों के रिवाइबल हेतु अत्यंत उपयोगी है, जो विविध जलवायु के कारण समाप्ति के करार पर है। इसलिए, इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यता है।

14. आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि कर्नाटक राज्य में राज्य केवीआई बोर्ड से सम्बद्ध कई मधुमक्खी पालन समितियां (सोसाइटीज़) थीं, जो कि काफी प्रक्रियाबद्ध ढंग से संचालित हो रही थीं परंतु समय व्यतीत होने के साथ- साथ वे सभी बंद/निष्क्रिय हो गईं हैं, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आगे, उन्होनें यह भी जानकारी दी है कि अभी हाल ही में निर्यातक शिखर

सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें अफ्रीकी देशों के कुल 18 प्रतिनिधि शामिल हुए तथा उन्होनें पूरी तरह से जैविक व क्षेत्र में बिक्री की प्रबल संभावना वाले वाइल्ड रॉक बी हनी की टैपिंग के संबंध में शहद उत्पादन करने वाली स्थानीय संस्थाओं से चर्चा की। अफ्रीकी प्रतिनिधि-मण्डल ने अफ्रीका में वाइल्ड बी-हनी के संसाधनों की ई-टैपिंग व प्रसंस्करण की दिशा में प्रयास करने हेतु स्थानीय संस्थाओं को आमंत्रित किया। प्रतिनिधि-मण्डल व कई संस्थाओं ने इस उद्यम/व्यवसाय के प्रति अपनी इच्छा जताई। आगे, उन्होनें यह सूचित किया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास इस तरह के विदेशी संपोषक प्रस्तावों हेतु एक ठोस प्रस्ताव होना चाहिए।

15. आयोग ने वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की इस टिप्पणी को नोट किया कि हनी टैपिंग के अलावा, मधुमक्खी पालन उद्योग के सह-उत्पाद अर्थात बी वैक्स, रॉयल जेली, इत्यादि जैसे उत्पादों की विदेशों में वृहद पैमाने पर मांग है तथा इस विविधता से उद्योग की स्थिति काफी कुशल व मजबूत होगी।

16. आयोग ने अध्यक्ष महोदय की इस टिप्पणी को भी नोट किया कि इस उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए देश-भर के सभी केवीआई प्रशिक्षण केन्द्रों पर करीब 19000 बी बॉक्स लगाए जाएंगे।

17. वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बी बॉक्स लगाने हेतु आंचलिक लक्ष्य तैयार करने की सिफ़ारिश की, जो कि उद्योग को वृहद स्तर पर बढ़ावा देने में काफी मददगार सिद्ध होगा।

18. आयोग ने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी) की इस टिप्पणी को नोट किया कि मधुमक्खी पालन से जुड़े उद्यमी पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा इसीलिए आयोग ने राज्य/आंचलिक स्तरीय लक्ष्यांक तैयार करने व पीएमईजीपी के अंतर्गत इस उद्योग के प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है।

19. आगे, आयोग ने मधुमक्खी पालन उद्योग संबंधी दिशा-निर्देशों की मसौदा प्रति आयोग के सभी सदस्यों को परिचालित करने के निर्देश दिये।

कार्रवाई : उप निदेशक (ग्रामोद्योग)
निदेशक (एफ़बीआई)

III. मद संख्या 12(12.1) : विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत, निदेशकों के पाँच पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने का प्रस्ताव

1. आयोग ने सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि पूर्वोत्तर अंचल में अधिकारियों की कमी/अभाव के कारण आयोग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले निदेशकों में से कुछ निदेशकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थ कर सकता है।

2. आयोग ने वर्तमान में राज्य कार्यालय गंगटोक में पदस्थ डॉ भुईया को राज्य कार्यालय गुवाहाटी में पदस्थ करने संबंधी सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल) के अनुरोध को भी नोट किया।

कार्रवाई : उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

III. मद संख्या 16(13.3): कर्नाटक में मंडलीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव।

1. आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि चूंकि कर्नाटक में एक मंडलीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव पूर्व में पारित किया जा चुका है, जहां आधारभूत संरचना, कार्यालय इत्यादि पहले से ही उपलब्ध हैं तथा यहाँ केवल 25-30 लाख रुपये के खर्च से ही कार्यालय की शुरुआत की जा सकती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को कर्नाटक में मंडलीय कार्यालय खोलने हेतु मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए।

2. इस संबंध में, वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह टिप्पणी की कि कई कार्यालय ऐसे हैं, जहां कोई विशेष काम-काज नहीं है। अतः स्टाफ की कमी को देखते हुए, जोधपुर, विजयराय, सिलीगुड़ी इत्यादि जैसे मंडलीय कार्यालयों की आवश्यकता की समीक्षा की जानी आवश्यक है और यदि किसी मंडलीय कार्यालय का कार्य-निष्पादन प्रभावी व संतोषजनक न हो तो उसे बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3. आयोग ने सभी मंडलीय कार्यालयों तथा वहाँ पदस्थ पदाधिकारियों के विवरण को माननीय अध्यक्ष महोदय को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

4. आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास) की इस टिप्पणी से सहमति व्यक्त की है कि खादी ग्रामोद्योगी गतिविधियों के पुनरुद्धार हेतु जनशक्ति के अधिकतम उपयोग के साथ-साथ उस प्रशानिक सुधार की

भी आवश्यकता है। आयोग ने उनकी इस टिप्पणी को भी नोट किया कि यथोचित विशेषज्ञता/ अर्हता/प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की सेवा का पूरा-पूरा लाभ लेने के लिए उसे सही जगह पदस्थ किया जाना चाहिए।

5. आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया कि ऐसी लोकप्रिय जगहों का जायजा लेना चाहिए जहां पर पहले से ही पर्याप्त स्टाफ पदस्थ है तथा दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थ स्टाफ की कमी/अभाव को देखते हुए इसे परस्पर संतुलित किया जाना चाहिए।

6. आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) की इस टिप्पणी को भी नोट किया कि खानापुर(कर्नाटक) स्थित खादी ग्रामोद्योगी इकाई में केवल एक ही स्टाफ पदस्थ है क्योंकि वहां के सभी स्टाफ को राज्य कार्यालय बंगलुरु में पदस्थ किया गया है।

7. आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) की इस टिप्पणी को भी नोट किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग के अनुमोदन से जारी सभी स्थानांतरण आदेशों का दिनांक 31 मार्च 2017 तक अनुपालन किया जाना चाहिए तथा उपरोक्त जारी आदेशों को न तो रद्द किया जाना जाना चाहिए और न ही वापस लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसे आयोग द्वारा पारित निर्णयों की अवमानना समझा जाएगा।

8. खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग ने अध्यक्ष महोदय की इस टिप्पणी को नोट किया कि आयोग के सभी कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा कवरेज का लाभ प्रदान करने के लिए सभी कर्मचारियों का नाम, जन्म-तिथि/आयु, पदनाम, तैनाती का स्थान इत्यादि विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसे डिजिटल मोड में तीन श्रेणी (प्रथम श्रेणी- सभी अराजपत्रित कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी- निदेशक रैंक तक सभी राजपत्रित अधिकारी, तृतीय श्रेणी-निदेशक रैंक से ऊपर के सभी अधिकारी) में किया जाएगा।

9. आयोग ने जन-जातीय क्षेत्रों में खादी प्लाजा खोलने संबंधी विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास) की टिप्पणी को नोट किया। इस संबंध में आयोग ने यह सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय से संपर्क करने का निर्णय लिया कि क्या मंत्रालय द्वारा वर्तमान बजट के तहत पूर्वोत्तर अंचल में खादी प्लाजा स्थापित करने हेतु आवंटित रु 10.00 करोड़ की निधि का उपयोग जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले खादी प्लाजा हेतु किया जा सकता है।

10. आगे, आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास) की टिप्पणी को नोट करते हुए छत्तीसगढ़, ओड़ीशा व झारखंड राज्यों के जनजातीय/प्रभावित क्षेत्रों में खादी प्लाजा खोलने हेतु टीएसपी के अंतर्गत निधि की मांग करने का निर्णय लिया।

11. आयोग ने देश के खादी उत्पादन करने वाले क्षेत्र में खादी प्लाजा खोलने की संभावनाओं की जांच करने संबंधी सदस्य (मध्य अंचल) की टिप्पणी से भी सहमति व्यक्त की।

12. आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) के इस सुझाव से सहमति व्यक्त की है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिल्ली हाट की भांति ही 15-20 फुटकर बिक्री केंद्र/स्टॉल वाले खादी हाट, खादी प्लाजा आदि राज्य-वार खादी हाट, जैसे कि "यू.पी खादी हाट" को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि किसी राज्य में उत्पादित देशी केवीआई उत्पादों की बिक्री एक ही स्थान पर की जा सकेगी।

13. आयोग ने कुर्ता, अगरबत्ती इत्यादि की बिक्री हेतु वाराणसी के दशास्वमेध घाट के पास एक अस्थायी स्टॉल लगाने की दिशा में राज्य निदेशक, वाराणसी द्वारा की गई पहल पर वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की टिप्पणी को भी नोट किया तथा पर्यटन स्थलों, मंदिरों/नदी के घाटों इत्यादि पर स्टॉल लगाने की संभावनाओं की जांच करने का निर्णय लिया। इस प्रकार रोजगार सृजन के साथ साथ केवीआई उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा।

14. आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) की इस टिप्पणी को नोट किया है कि त्रिवेन्द्रम स्थित एक प्राकृतिक फाइबर डिजाइन केंद्र में कुल 9 स्थायी कर्मचारी पदस्थ हैं तथा केंद्र के प्रभावी उपयोग हेतु उपरोक्त डिजाइन केंद्र का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

कार्रवाई: उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) क्रम संख्या 1 - 8
: निदेशक (विपणन) क्रम संख्या 9 - 13
: निदेशक (एचएमपीएफ़आई) क्रम संख्या 14

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

Mail Today, New Delhi, Tuesday, April 18, 2017

Powercra

CP'S KHADI OUTLET CELEBRATES 62ND YEAR

The 62nd foundation day of erstwhile Khadi Gramodyog Bhawan, now called Khadi India Showroom, at Connaught Place was celebrated on Thursday. This flagship outlet of KVIC was established in 1955. Vinai Kumar Saxena, chairman, Khadi and Village Industries Commission, paid tribute to Mahatma Gandhi and felicitated 12 employees who had completed 25 years of service.

PNB CELEBRATES 12 FOUNDATION DAY

Punjab National Bank cele 123rd Foundation Day rece Ananthasubramanian, the CEO, launched three new for customers — Automat tronic Toll Collection to fa hassle-free toll payment Credit Card Mobile App a for financing Grid conne Solar Power Project. On App was also launched t HR operations for empl

युवाओं को भटकाव से रोकने के लिए रोजगार से जोड़ें : द्रौपदी मुर्मू

खेलगांव में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 'अभयारण्य' का आगाज

अभयारण्य कार्यशाला में देश के जनजाति क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए खादी और ग्रामोद्योग कैसे सहायक हो सकता है, इस पर परिचर्चा हुई।

सिटी रिपोर्टर • रांची

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रामदयाल मुंडा सभागार खेलगांव में आयोजित दो दिवसीय 'अभयारण्य कार्यशाला' के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल डॉ. द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड की धरती वीरों की भूमि है। यहां कई ऐसे सपूत एवं महानायक हुए, जिन्होंने अपने समाज एवं देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अमर शहीद बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, टाना भगत आदि कई महान विभूति इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का यह भू-भाग प्राकृतिक दृष्टिकोण के साथ-साथ खनिज संपदा के मामले में भी समृद्ध है। इसके साथ ही यहां के युवा भी मेहनती हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें सही मार्गदर्शन की। विडंबना है कि अपार खनिज संपदा तथा वन उत्पाद के बावजूद इस प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं कर पाया है।

कई राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं एवं इनके विकास के प्रति चिंतनशील है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को भटकाव से रोकने एवं विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, सर्वप्रथम उन्हें रोजगार मुहैया कराने की दिशा में पहल करनी होगी। इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त होंगे एवं सामाजिक दशा में भी सुधार होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, पद्मश्री अशोक भगत आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर एग्जीबिशन भी लगाया गया है।

टाना भगतों के आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा कर सकती है खादी

बबीता सिन्हा से सोया प्रोडक्ट और टोफू के बारे में जानकारी लेतीं राज्यपाल।

राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के टाना भगत समुदाय का उल्लेख करना चाहूंगी। इन्होंने गांधी जी के बताए मार्ग पर चलकर सत्याग्रह आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वदेशी को पूर्णतः अपनाया। हम सभी देखते हैं कि आज भी टाना भगत समुदाय महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करते हैं और स्वनिर्मित खादी का कुर्ता, धोती एवं गांधी टोपी पहनते हैं। ये अपने आंगन में चरखा तथा तिरंगा की पूजा करते हैं। इसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। परंतु विगत कई वर्षों से टाना भगत उचित सहायता की आशा में हैं। ऐसे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन टाना भगतों के आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा कर सकता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यही विचार था कि ग्रामीणों, आदिवासियों को उनके कार्य की उचित मजदूरी मिले, जिससे उनका समग्र विकास हो। ऐसे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों को अपने कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सबल बना सकता है।

ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाएं: सुदर्शन

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

खेलगांव स्थित रामदयाल मुंडा ऑडिटोरियम में आयोजित खादी कार्यशाला में उपस्थित अशोक भगत व अन्य गणमान्य।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री सुदर्शन भगत ने कहा है कि ग्रामीण युवक-युवतियों को सशक्त कर स्वावलंबी बनाने का संकल्प लेने की जरूरत है। गांव की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। गांवों को भी स्वावलंबी बनान है। इसके लिए सुदूर गांवों और जंगली इलाकों में रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। सुदर्शन भगत खेलगांव स्थित रामदयाल मुंडा ऑडिटोरियम में आयोजित खादी कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से किया गया था।

सुदर्शन भगत ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने में खादी ग्रामोद्योग आयोग जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके लिए आयोग को एक व्यापक कार्यक्रम बनाकर झारखंड के ग्रामीण और जंगली इलाके में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम चलाने चाहिए। इनमें स्थानीय संस्थाएं भी महत्वपूर्ण निभा सकती हैं। उन्होंने किसानों को जैविक कृषि पर जोर दिया। साथ ही कहा कि कृषि के साथ बागवानी पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पशुपालन के साथ मधुमक्खी पालन से भी आर्थिक स्थिति बदली जा सकती है। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि किसानों की आय दुगुनी होनी चाहिए।

राज्य में 10 नई खादी संस्थाएं बनेंगी: खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में 10 नई खादी संस्थाओं के गठन पर खादी ग्रामोद्योग आयोग काम कर रहा है। इन संस्थाओं के गठन से प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

ट्राइबल सब प्लान का पैसा खर्च हो: खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य अशोक भगत ने कहा कि प्रदेश में ट्राइबल सब प्लान का पैसा सही तरीके से खर्च हो। इससे आदिवासी युवकों को रोजगार भी मिलेगा और स्थानीय इलाकों का विकास भी होगा। कार्यशाला में बिहार और झारखंड से आए लगभग 500 लोगों के बीच आदिवासी इलाकों में रोजगार पैदा करने के तरीकों पर मंथन किया गया। इसके तहत झार[खंड] में हजारों की संख्या में लोगों को रोज[गार] देने की कार्ययोजना बनाई जाए[गी]। संगीता कुमारी ने भी संबोधित किय[ा]।

वनोत्पादों से मिलेंगे स्था[नीय] रोजगार: प्रदेश के कृषि मंत्री रणधीर [सिंह] ने कहा कि राज्य के ग्रामीण इला[कों में] आदिवासियों को वनोत्पादों से रोज[गार] दिलाने के लिए सरकार ने व्य[ापक] कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत [वनो]त्पाद वाले क्षेत्रों में वहां के लोग[ों को] प्रसंस्करण ईकाईयों में रोजगार मि[लेगा]।

कार्यशाला | खादी ग्रामोद्योग आयोग की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला अभ्यारणय संपन्न

खादी ग्रामोद्योग देगा लोगों को रोजगार

जागरण संवाददाता, रांची : पीएमइजीपी के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग आयोग लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। जंगल का धन आदिवासियों की धरोहर है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने मधुमक्खी पालन को एक मिशन मोड में लिया है। वर्तमान समय में स्वयंसेवी संस्थाएं समाज का अभिन्न अंग बन गई है। उनके माध्यम से खादी ग्रामोद्योग आयोग ने जनजातीय क्षेत्र के युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया है। संस्था खादी ग्रामोद्योग आयोग के साथ मिलकर नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। ये बातें खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कही। वे मंगलवार को खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से खेलगांव में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, अभ्यारण्य के समापन समारोह में बोल रहे थे। तकनीकी सत्र में प्रतिभागियों ने उद्यम से संबंधित अनुभव व विचार साझा किया। आयोजन खादी ग्रामोद्योग आयोग के विशेषज्ञ सदस्य व विकास भारती के सचिव अशोक भगत की प्रेरणा से किया गया।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बना सकें, इस दिशा में खादी ग्रामोद्योग लगातार काम कर रहा है। झारखंड का वन क्षेत्र सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है। वन संपदा व वनोत्पादों के माध्यम से उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। साल के बीज का प्रसंस्करण कर व्यवसाय खड़ा हो सकता है। पपीता, कटहल, आंवला, बहेरा आदि वन उपज लेकर अगर हम आगे बढ़ें, तो किसानों को स्वावलंबी बना सकते हैं। उनके कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, उनकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है। साथ ही उनके उत्पादों के लिए विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है।

कार्यशाला में उपस्थित केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय सक्सेना, विकास भारती के सचिव अशोक भगत, कृषि मंत्री रणधीर सिंह व अन्य • जागरण

- आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा खादी ग्रामोद्योग आयोग : सुदर्शन भगत
- आदिवासी, आदिम जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आयोग की है अच्छी पहल : रंधीर सिंह
- मधुमक्खी पालन को खादी ग्रामोद्योग ने लिया मिशन के मोड में, सभी का विकास है लक्ष्य

कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि 'यह अभ्यारण्य कार्यशाला हमारे आदिवासी, आदिम जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग की सराहनीय पहल है। उन्होंने झारखंड में कृषि, बागवानी व पशुपालन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मौके पर खादी ग्राम उद्योग आयोग की वित्तीय सलाहकार ऊषा सुरेश, सदस्य संगीता कुमारी, डिप्टी सीईओ एसके राव थे। धन्यवाद ज्ञापन खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की निदेशक पीएम जोगलेकर ने किया।

2 लखनऊ, 9 अप्रैल, 2017 आज

खादी के माध्यम से गांधी के सपनों को साकार करने की जरूरत

(आज समाचार सेवा)

लखनऊ, शनिवार। खादी के माध्यम से महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की जरूरत है। संस्थाओं को आपसी झगड़े से बचते हुये और मजबूत बनाना होगा। मैं मानता हूं कि प्रदेश में चरखों की कमी है। यह बातें आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम वर्ग के मंत्री कलराज मिश्र ने खादी कार्यक्रम विकास व एमएसएमई के अन्तर्गत व्यापक रोजगार सृजन परिचर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुये कही।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में यूपी सरकार के खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी भी मौजूद रहे। केन्द्रीय मंत्री श्री मिश्र ने कहा कि खादी के विकास के लिए आप लोगों को और अधिक रिसर्च करना चाहिये। यूपी में रिसोर्स की कमी नहीं है, पर इसके लिए संकल्प शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज खादी फैशन में आ गया है। संस्थाओं को सोलर से चलने वाले चरखे उपलब्ध कराये जायेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये संस्थाओं से जुड़े लोगों ने केन्द्रीय मंत्री से खादी, चरखे व अन्य आड़े रही समस्याओं से अवगत कराया।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ग्राम्य वार्ता लखनऊ
रविवार, 9 अप्रैल, 2017 www.gramyawarta.com 3

लघु व मध्यम उद्यमों की जीडीपी में आठ प्रतिशत भागीदारीः मिश्र

ग्राम्यवार्ता संवाददाता

लखनऊ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में लगभग 8 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी है। इनका रोजगार प्रदान करने में कृषि के बाद सबसे बड़ा हिस्सा है। यह बात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने कही। वह शनिवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी विकास एवं एमएसएमई के अंतर्गत व्यापक रोजगार सृजन पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से 11.79 लाख उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। लक्षित समूह के लिये अवस्थापना सृजन करके नये उद्योग में प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यूपी में 11 कमजोर खादी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये 55.53 लाख का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में दी गई है। इसके अलावा यूपी में 664 खादी संस्थाओं के माध्यम से खादी कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये विपणन विकास सहायता (एमडीए) के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 85.03 करोड़ का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वितरित किया गया है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के यूपी के 7 हजार 917 कामगारों को बेहतर कार्य का माहौल देने के लिये वर्कशेड किये गये हैं, जिसके लिये 35.53 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।

www.nishpakshpratidin.in
4 निष्पक्ष प्रतिदिन
रविवार, 9 अप्रैल 2017 दैनिक, लखनऊ

सूक्ष्म व लघु उद्यमों की जीडीपी में आठ प्रतिशत भागीदारी : कलराज मिश्र

लखनऊ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में लगभग 8 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी है। इनका रोजगार प्रदर्शन करने में षि के बाद सबसे बड़ा हिस्सा है। यह बात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने कही। वह शनिवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी विकास एवं एमएसएमई के अंतर्गत व्यापक रोजगार सृजन पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से 11.79 लाख उम्मीदारों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। लक्षित समूह के लिये अवस्थापना सृजन करके नये उद्योग में प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यूपी में 11 कमजोर खादी संस्थाओं को सुढ़ बनाने के लिये 55.53 लाख का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में दी गई है। इसके अलावा यूपी में 664 खादी संस्थाओं के माध्यम से खादी कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये विपणन विकास सहायता (एमडीए) के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 85.03 करोड़ का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वितरित किया गया है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के यूपी के 7 हजार 917 कामगारों को बेहतर कार्य का माहौल देने के लिये वर्कशेड किये गये हैं, जिसके लिये 35.53 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।

स्वतंत्र भारत
लखनऊ, रविवार, 9 अप्रैल 2017

खादी के माध्यम से गांधी के सपनों को साकार करने की जरूरत : कलराज

संवाददाता, लखनऊ।

खादी के माध्यम से महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की जरूरत है। संस्थाओं को आपसी झगड़े से बचते हुए संस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। मैं मानता हूं कि प्रदेश में चरखों की कमी है। ये बातें केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम वर्ग के मंत्री कलराज मिश्र ने राजधानी के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी कार्यक्रम विकास व एमएसएमई के अन्तर्गत व्यापक रोजगार सृजन परिचर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कही।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में यूपी सरकार के खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी भी उपस्थित रहे।

श्री मिश्र ने कहा कि खादी के विकास के लिए आप लोगों को और अधिक रिसर्च करना चाहिए। यूपी में रिसोर्स की कमी नहीं है, पर इसके लिए संकल्प शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज खादी फैशन में आ गया है।

श्री मिश्र ने कहा कि संस्थाओं को सोलर से चलने वाले चरखे उपलब्ध कराये जायेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये संस्थाओं से जुड़े लोगों ने केन्द्रीय मंत्री से खादी, चरखे व अन्य आ रही समस्याओं से अवगत कराया।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

4 | दैनिक जागरण लखनऊ, 9 अप्रैल 2017

खादी से तलाशें रोजगार सृजन के उपाय : कलराज

- घर-घर चलने वाले पारंपरिक उद्योग न होने दें बंद
- खादी को जरूरत है आज के अनुकूल बनाने की

जागरण संवाददाता, लखनऊ : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने शनिवार को कहा कि घर-घर चलने वाले पारंपरिक उद्योग बंद न होने पाएं। यह बातें उन्होंने खादी कार्यक्रम विकास एवं एमएसएमई के अंतर्गत व्यापक रोजगार सृजन पर हो रही चर्चा में कहीं।

कहा कि हमें यह देखना होगा कि खादी अगर बंद हुई तो उसके पीछे क्या कारण रहे। उन्हें देखें और इसका खाका तैयार कर पेश करें। खादी को अपग्रेड करें। सरकार हर तरह से मदद को तैयार है। यह भी देखें कि खादी गांवों तक कैसे पहुंचे। खादी का महत्व पहले भी था और आज भी है। बस जरूरत है इसे आज के अनुकूल बनाने की। ताकि खादी से रोजगार के अवसर बनें। 'खादी फॉर नेशन अब खादी फॉर फैशन' भी हो गया है। ग्लोबल बाजार में खादी तेजी के साथ अपना दबदबा बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले पारंपरिक तरीकों के चरखों से सूत की कताई होती थी। अब सोलर चरखों से होती है। ये ठीक है कि चरखों की अभी थोड़ी कमी है पर जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। गांव-गांव, घर-घर चरखा चलाने वाले मिल जाएंगे। हमें उन्हें पूनी, सूत, चरखा व आर्थिक मदद दिलानी होगी। तभी खादी आगे बढ़ सकेगी।

घर-घर तक पहुंचाएं खादी : पचौरी – विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सत्यदेव पचौरी ने खादी को

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की बैठक में बोलते केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र

स्वाभिमान और स्वावलंबन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि वेद युग की ओर ध्यान दिया जाये तो खादी को पहले घर की महिलाएं तैयार करती थीं। हम उसे भूलते जा रहे हैं। इसे हर घर तक पहुंचाएं। नई पीढ़ी को कैसे इससे जोड़े, इस दिशा में गंभीर पहल करनी होगी। कम पैसा पाकर सूत लाने वाले लोगों के प्रति अच्छा नजरिया रखते हुए हम उसे कम पैसे न दें। हैंडलूम व पावरलूम को गांवों तक ले जाने की ठोस पहल करनी होगी।

इस दौरान खादी कार्यक्रम विकास एवं एमएसएमई समेत केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सहायता एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। उत्तर प्रदेश में खादी उद्योग, ग्रामीण उद्योग, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, निधि योजना, खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना, खादी कारीगरों के लिए आम आदमी बीमा योजना, विपणन विकास सहायता आदि योजनाओं का जिक्र किया गया। इस मौके पर खादी से बनीं चीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में राज्य, निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ के आरएस पांडेय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ डॉ अखिलेश मिश्रा भी मौजूद रहे।

कटाक्ष से भी नहीं चूके

गांधीजी के जिक्र और उनके विचारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां बैठे तमाम लोग ऐसे हैं जो खादी में रमे हुए हैं। गांधीजी के विचारों से ओतप्रोत हैं, जरूरी नहीं कि सभी कांग्रेसी हों। इस पर मंत्री समेत सभी हंस दिए और मेज थपथपाई।

लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम

जासं, लखनऊ : लोगों में इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सेंस होना चाहिए। इसी पहल के साथ जनधन योजना शुरू की गई। पहले खाता खुलवाने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे। बैंक वाले कितना परेशान करते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यह कहना था लघु एवं सूक्ष्म विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र का।

शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय लविवि के एप्लाइड इकोनॉमिक्स विभाग की ओर से इमरजिंग इंडिया एंड सेकेंड जनरेशन रिफार्म पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र ने कहा सरकार का मकसद सामजिक व वैज्ञानिक व औद्योगिक क्षेत्र में क्षमता विकास को बढ़ावा देना है। वैश्विक स्तर पर देश को भले ही विकासशील कहा जा रहा हो, मगर प्रत्येक देश की निगाह हिंदुस्तान की ओर है। अर्थशास्त्रियों का कहना है देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से मजबूती हासिल हो रही है।

उन्होंने कहा सिस्टमैटिक तौर पर जो निर्माण हो उसे लीन टेक्नॉलाजी कहा जाता है। बीते दो वर्षों में इसी डिमांड बढ़ी है। उन्होंने कहा इनोवेशन और डिजिटल इंडिया से जोड़कर युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते तैयार किये जा रहे हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से लाखों छोटे व्यवसायी लाभांवित हुए हैं। गांव का व्यक्ति कम पढ़ा लिया जरूर है, मगर उसका टेक्निकल आइक्यू कम नहीं है। उसकी इसी सोच से उसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा ने गुजरात मॉडल के सिंगल विंडो सिस्टम को यूपी में भी लागू किया जाएगा। इससे लोग एक स्थान पर सभी समस्याओं को निजात पा सकें। इस दौरान लविवि कुलपति प्रो प्रसपी सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

नहीं पहुंचे मंत्री महेंद्र और स्वाती

लविवि के मालवीय सभागार में सुबह 11 बजे अंतरराष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। उपमुख्यमंत्री समय से पूर्व कार्यक्रम में पहुंच चुके थे। वहीं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र सेमीनार में करीब 11.30 बजे पहुंचे। डिप्टी सीएम और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में शामिल होकर वापस भी चले गए मगर मंत्री महेंद्र सिंह और स्वाती सिंह नहीं पहुंचे।

संडे नवभारत टाइम्स। नई दिल्ली/लखनऊ। 9 अप्रैल 2017
NBT

आईजीपी में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी मौजूद रहे।

'खादी को रोजगार से जोड़ें तभी होगा विकास'

■ एनबीटी, लखनऊ : खादी उद्योग को बेहतर और रोजगारपरक बनाने के लिए उसे तकनीक से जोड़ना होगा। वैश्विक बाजार को ध्यान में रखकर हमें खादी के ऐसे उत्पाद तैयार करने होंगे जो फैशन के लिहाज से भी फिट हो। ये बातें बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कलराज मिश्रा ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी सुधार एवं व्यापक रोजगार सृजन पर आयोजित परिचर्चा के दौरान कही।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सत्यदेव पचौरी ने कहा नई पीढ़ी खादी से तभी जुड़ेगी, जब इससे रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग में मजदूरों का सबसे अधिक शोषण होता है। इसकी वजह से गांव का मजदूर शहर की ओर पलायन करता है। पलायन रोकने के लिए गांव में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करना होगा। परिचर्चा मे एमएसएमई के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में यूपी खादी बोर्ड के सीईओ अखिलेश मिश्रा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

हिन्दी दैनिक
भू मित्र
सहाफत समूह का सहयोगी प्रकाशन

खादी से तलाशें घर-घर में रोजगार सृजन के उपाए: कलराज

लखनऊ। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि घर-घर चलने वाले पारंपरिक उद्योग बंद न होने पाएं। बंदी के पीछे क्या कारण हैं उसे देखें और वे कैसे फिर से चल सकते हैं। इसका विस्तृत खाका तैयार कर पेश करें। उन्हें अपग्रेड करें। सरकार हर तरह से मदद को तैयार है। यही नहीं गांव-गांव खादी कैसे पहुंचे, इस दिशा में कर्मी और संस्थाएं जुट जाएं। खादी का महत्व पहले था आज भी है। बस जरूरत है इस स्वदेशी को आज के युग के अनुकूल बनाने की। इस पर गंभीरता से अमल करना होगा और खादी से रोजगार तलाशने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। खादी फार नेशन अब खादी फार फैशन भी हो गया है। ग्लोबल बाजार में खादी तेजी के साथ अपना दबदबा बना रही है। इसे युवाओं की खास पसंद बनाना होगा। मंत्री आज खादी कार्यक्रम विकास एवं एमएसएमई अंतर्गत व्यापक रोजगार सृजन पर हो रही चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले पारंपरिक तरीकों के चरखों से सूत की कताई होती थी। अब सोलर चरखों से। ये ठीक है कि चरखों की अभी थोड़ी कमी है। पर जल्द ही इसे भी कर लिया जायेगा। गांव-गांव, घर-घर चरखा चलाने वाले मिल जाएंगे। हमें उन्हें पूनी, सूत, चरखा व आर्थिक मदद दिलानी होगी तभी यह आगे बढ़ सकेगी।

शेष पृष्ठ आठ पर

हिन्दुस्तान लखनऊ • रविवार • 09 अप्रैल 2017 08

खादी विकास एवं एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार सृजन पर आयोजित परिचर्चा

सूक्ष्म व लघु उद्यमों की अहम भागीदारी: कलराज

लखनऊ | कार्यालय संवाददाता

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में लगभग 8 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी है।

इनका रोजगार प्रदान करने में कृषि के बाद सबसे बड़ा हिस्सा है। यह बात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने कही। वह शनिवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी विकास एवं एमएसएमई के अंतर्गत व्यापक रोजगार सृजन पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से 11.79 लाख लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में 11 कमजोर खादी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 55.53 लाख का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्ष में दिया गया है। यूपी में 664 खादी संस्थाओं के माध्यम से खादी कार्यक्रम करने के लिये विपणन विकास सहायता (एमडीए) के अंतर्गत पिछले दो वष में 85.03 करोड़ का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वितरित किया गया है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के यूपी के 7,917 कामगारों को बेहतर कार्य का माहौल देने के लिए वर्कशेड किये गये हैं, जिसके लिए 35.53 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई परिचर्चा में मंत्री कलराज मिश्र शामिल हुए

औद्योगिक क्रांति के लिए आगे आएं युवा : कलराज

'उभरते भारत और दूसरी पीढ़ी के सुधार : पहल एवं प्रभाव' विषय पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन

लखनऊ (एसएनबी)। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने शनिवार को यहां कहा कि देश के युवाओं को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान विकसित होगा और सारी दुनिया में महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा।

वह लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि की हैसियत से लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय के व्यवहारिक अर्थ शास्त्र विभाग द्वारा 'उभरते भारत और दूसरी पीढ़ी के सुधार : प्रभाव एवं पहल' विषय पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि पूरे वैश्विक क्षेत्र में हिन्दुस्तान भले ही विकासशील देश है लेकिन दुनिया की निगाहें हिन्दुस्तान पर हैं।

उन्होंने अभिनव और अविष्कार के महत्व के बारे में बात की जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि सस्ते और गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने वाली टेक्नोलाजी चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत को तैयार करने के लिए कदम है।

गेस्ट आफ ऑनर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने उच्च शिक्षा के विभिन्न मुद्दों तथा शिक्षा क्षेत्र को ऊपर उठाने की जरूरतों पर बल दिया। उन्होंने औद्योगिक विकास पर जोर दिया जो एकल खिड़की प्रणाली के पुनर्गठन के माध्यम से संभव है। गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में भी उद्योग लगाने वालों को एक ही स्थान पर बिजली, लाइसेन्स, अनुमति व ऋण आदि की सुविधा हो। एक ही स्थान पर उसकी सभी समस्याओं का निवारण हो। इसके लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिये हैं। उन्होंने कहा सरकार का मुख्य जोर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर है। कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी प्रभावी नहीं रहा।आने वाला समय रोजगार सृजन का समय है।

लविवि में दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र व उप्र के उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा। फोटो : एसएनबी

जेके लक्ष्मीपत विष्वविद्यालय, जयपुर के प्रति कुलपति प्रो. आरएल रैना ने मुख्य वक्ता के रूप मे तीन महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे बात की। इसमें गरीबी, बेरोजगारी एवं असमानता प्रमुख हैं। साथ ही साथ उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया एवं स्किल इंडिया योजनाओं के बारे में भी बात की। प्रो. वीके गोस्वामी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लविवि के कुलपति प्रो. एसपी सिंह ने व स्वागत भाषण प्रो. मधुरिमा लाल ने किया।

अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन मे देश-विदेश से आये आठ सौ से अधिक प्रतिभागियों ने अपना योगादान दिया एवं बहुमूल्य शोध-पत्र प्रस्तुत किये। सम्मेलन मे नाईजीरिया, ईरान, सूडान आदि देशों से के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की पॉच विभिन्न तकनीकी सत्रों में उपयुक्त एवं प्रासंगिक विषयो पर 750 से अधिक शोध-पत्र प्रस्तुत किये गये।

सत्र में विभिन्न बिन्दुओं पर सिडबी के महाप्रबंधक अरूप श्रीवास्तव, पीएचडी चेम्बर आफ कामर्स के आरके सरन, शिखा शर्मा, प्रो. एके सेनगुप्ता, जेएन शुक्ला, डा. अनूप कुमार सिंह, प्रो. अर्चना सिंह, प्रो. विमल जायसवाल, डा. सुनीता श्रीवास्तव मौजूद थे।

अमर उजाला | राजधानी — amarujala.com — रविवार, 9 अप्रैल 2017 — लखनऊ 6

नए तरीके अपनाकर ही खादी कर सकती है प्रतिस्पर्धा

लखनऊ (ब्यूरो)। केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि पुराने ढर्रे को छोड़ नए तरीके अपनाकर ही खादी आधुनिक फैशन से मुकाबला कर सकेगी। यूपी में संसाधनों व काम करने वालों की कमी नही, बल्कि संकल्प शक्ति की कमी है। केंद्र लघु उद्योगों व खादी को बढ़ावा देने के लिए राज्य को हरसंभव मदद करेगी। वे शनिवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'खादी का विकास एवं एमएसएमई के तहत व्यापार व रोजगार सृजन' विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं काम करना चाहती हैं उन्हें आगे लाया जाए जिससे उनका नवीनीकरण किया जा सके। खादी के क्षेत्र में महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, सोलर चरखे के माध्यम से आर्टिजन को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। खादी पहले फॉरमेशन था, अब फॉर फैशन है। शिल्पकला को भी विकसित करना होगा। पारंपरिक उद्योगों को थोड़ा अपग्रेड करने की जरुरत है, यदि उन्हें अपग्रेड कर लिया तो बड़ा काम होगा। वहीं, सूबे के एमएसएमई मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा, वे प्रत्येक जिले का दौरा कर लघु एवं सुक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने का काम शुरू कराएंगे। उन्होंने कहा, वे भी पीएम और सीएम की तरह न बैठेंगे न बैठने देंगे। प्रदेश में लघु एवं सुक्ष्म उद्योग की अपार संभावनाएं हैं।

दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन करते केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री कलराज मिश्र।

कलराज बोले- यूपी में संसाधनों की नहीं, संकल्प शक्ति की कमी

पेज-5 लखनऊ। रविवार • 9 अप्रैल • 2017

राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

लघु उद्योगों को बढ़ावा देगा खादी ग्रामोद्योग

लखनऊ (एसएनबी)। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं, गरीब महिलाओं को रोजगार के तलाश में अपना गांव छोड़कर बाहर न जाना पड़े, इसके लिए खादीग्रामोद्योग लघु व सूक्षम उद्योगों को बढ़ावा देगा, जिससे लोग अपने घरों में रहकर काम कर सके और अपने जीवन स्तर को [...]हतर बना सकें और हमारे [...]ंव भी खुशहाल रहें। यह बात [...]न्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम [...]द्यम मंत्री कलराज मिश्र ने [...]ानिवार को गोमती नगर स्थित इन्दिरा गांधी [...]तिष्ठान में खादी कार्यक्रम एवं सूक्ष्म, लघु [...]एवं मध्यम उद्यम के अन्तर्गत व्यापक रोजगार सृजन पर आयोजित परिचर्चा में कहीं। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए उद्यमियों ने इस योजना के जरिए मिली सस्ते कर्ज से शुरू किए गए अपने उद्योगों व इससे कितने लोगों को रोजगार मिला इसकी जानकारी स्लाइड शो के जरिए दी।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि कलराज मिश्र नें महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है,लेकिन आर्थिक कारणों से वे कोई उद्यम नहीं लगा पाते और उन्हे अपना परिवार छोड़कर रोजगार के लिए शहर जाना पड़ता है। ऐसा न हो इसलिए गांवों में ही छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी बडे स्तर पर फंड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने शिवआश्रम द्वारा चलाए जा रहे बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। इसके लिए सामान्य सुविधा केन्द्र खोले जाएंगे जिससे यहां उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा सके और इस उद्योग में काम करने वाले लोगों को प्रतिदिन ₹ 300 की आय मिल सके इस काबिल बनाया जाएगा।

इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम के तहत व्यापक रोजगार, सृजन पर परिचर्चा

कार्यक्रम में आए उद्यमि मनीष सिंघल ने बताया कि उन्होंने खादीग्रामोद्योग से दो साल पहले मात्र 15 लाख का कर्ज लेकर चिनहट के मुरलीपुर में कचरी बनाने का उद्योग लगाया, आज उनका वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ पहुंच गया है और उनके कारखाने से गांव के 20 लोगों को रोजगार मिला है, इसमें महिलाए भी शामिल हैं। इसी तरह भिलसर के मो. कादिर ने नवम्बर 2015 में बेकरी लगायी। इसमें 70 लोगों को रोजगार दिया गया।

बैंक से लिया गया सारा कर्ज चुकाने के बाद मुनाफे के पैसे से दूसरी यूनिट भी लगा चुके हैं। विशिष्ट अतिथि मंत्री खादी, रेशम, वस्त्र उद्योग एवं निर्यात सत्य देव पचौरी ने कहा खादी स्वाभिमान का प्रतीक है। गांधी जी ने खादी को स्वदेशी व सम्मान से जोड़ा। उन्होंने कहा प्रदेश में बन्द बड़े कारखानों को खोला जाएगा और लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग बंद क्यो हुए हमे इस पर विचार करना होगा, जब तक उद्यमियों में शोषण से मुक्त भावना नहीं होगी उद्योग सफल नहीं होगें। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तीन सौ रुपये है तो कारखाने में काम करने वालों को अधिक मिलनी चाहिए।

खादी बोर्ड के चेयरमैन अखिलेश मिश्र ने कहा खादी को फैशन से जोड़ा जा रहा है। खादी के कपड़ों में डिजाइन करने के लिए निफ्ट के बड़े फैशन डिर्जाइनरों की मदद ली जा रही है और फैशनशो कराएं जा रहे हैं। कार्यक्रम में लखनऊ, गोरखपुर,फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अकबरपुर, गांधी आश्रम के लोग भी शामिल हुए।

...R.TIMESOFINDIA.COM — MUMBAI | MONDAY, MAY 1, 2017 | PAGES 34

...MES OF INDIA

MUMBAI MIRROR OR THE ECONOMIC TIMES OR MAHARASHTRA TIMES*

PAK EXTENDS HAFIZ SAEED'S HOUSE ARREST BY 90 MORE DAYS 8

TURKEY HOPES TO BOOST TIES WITH INDIA, PREZ ERDOGAN WRITES FOR TOI 14

Sales of khadi, village goods top ₹50,000cr

KVIC On A Roll As Consumer Demand Soars

John Sarkar & Sidhartha | TNN

NATURAL GROWTH

- Govt giving heavy push to khadi, but surprisingly high demand for honey, soaps, cosmetics, furniture and organic food items
- Gramodyog (village produce) sales grew 24% to just over ₹50,000 crore in 2016-17
- Sales of khadi products alone rose 33% over the previous year to ₹2,005 crore

New Delhi: One doesn't usually associate village industries and khadi units with big bucks. But last year, the low-profile segment notched up sales of over Rs 50,000 crore for the first time.

While khadi sales are being pushed hard by the government, the surprise is the bumper demand for products such as honey, soaps, cosmetics, furniture and organic food items, produced by village industries, many of which are run by women.

Data collated by the Khadi & Village Industries Commission (KVIC) showed that during the last financial year, sales of village industries produce, or Gramodyog, grew 24% to just a shade over Rs 50,000 crore. Meanwhile, khadi products notched up sales of Rs 2,005 crore, up 33% from Rs 1,635 crore in 2015-16.

The combined KVIC turnover makes it larger than several consumer goods companies in the country.

▶KVIC eyes exports, P 18

Shirdi temple to lend ₹500cr for canal work

The Shri Saibaba Sansthan Trust will lend Rs 500 crore for the construction of the much-awaited network of canals from the Nilwande aka Upper Pravara dam near Akole in Ahmednagar district, **reports Chaitanya Deshpande.** Work on constructing the canals has been pending for the last 15 years. The project is expected to benefiting thousands of farmers in 185 villages.

Why Snapdeal fell out with Softbank

Online marketplace Snapdeal was a prized investment for Japan's Softbank not long ago. But a lot ha[s] changed in the past year [...] the e-tailer finds itself on t[he] verge of being sold by its [...] investor. **Samidha Shar[ma]** finds out how Snapdeal's [val]uation plummeted from [...] billion to $1 billion and SoftBank stalled the flow o[f] capital into it of late. P 18

रेमंड स्टोर पर मिलेंगे मोदी और योगी स्टाइल के वस्त्र

युवा वर्ग के बदलते फैशन की मांग को ध्यान में रखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टाइल के कुर्ते-जैकेट इत्यादि वस्त्र भी रेमंड स्टोर में उपलब्ध होंगे। इन दिनों वाराणसी समेत देश में युवा वर्ग द्वारा मोदी के साथ-साथ अब मुख्यमंत्री योगी के कुर्ते की मांग की जा रही है। इसे देखते हुए रेमंड अपने रेडी टु विअर (आरटीडब्ल्यू) और मेड टु मेजरमेंट (एमटीएम) स्टोर पर ये वस्त्र उपलब्ध करा रही है।

लखनऊ और इलाहाबाद के बाद वाराणसी में पूर्वांचल के पहले आरटीडब्ल्यू और एमटीएम स्टोर के उद्घाटन के मौके पर आए रेमंड के आरटीडब्ल्यू और एमटीएम इकाई के राष्ट्रीय प्रमुख अब्बास हुसैन ने कहा कि पिछले दिनों एफबीबी पर खादी उत्पादों को अपना नाम देकर बेचने के मामले में केस दर्ज हो गया है जिसके बाद अब रेमंड ने खादी के अधिकार खरीदने का निर्णय किया है और इसके बाद भी कंपनी खादी के उत्पादों को खादी के नाम से ही उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगी।

हुसैन ने बताया कि कंपनी खादी के कपड़े लेकर अपने सयंत्रों और कारखानों में उत्पाद तैयार करा कर आरटीडब्ल्यू और एमटीएम स्टोरों में उपलब्ध कराएगी। अपने नए स्टोरों की खासियत पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये दुकानें लक्जरी और तकनीकी तौर पर अत्याधुनिक हैं और यहां सारे काम ऑनलाइन आई पॉड पर किये जाते है। उन्होंने कहा कि कपड़े तैयार करने से लेकर ग्राहक तक पहुचाने तक कुल 144 प्रक्रियाओं से कपड़े को गुजरना पड़ता है। *बीएस*

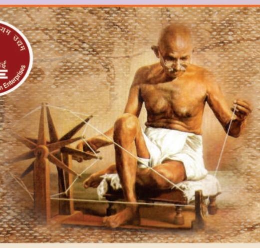

Khadi India

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष

Charkha is the symbol of the nation's prosperity and therefore freedom. It is a symbol not of commercial war but of commercial peace
- Mahatma Gandhi

Inauguration of

HERITAGE CHARKHA MUSEUM &

Unveiling of

STAINLESS STEEL CHARKHA &

Distribution of 500 Charkhas to the artisans of 9 States

on Sunday, 21st May 2017 at 5.30 pm
at Palika Bazaar, opposite Khadi India outlet, Connaught Place, New Delhi

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Khadi & Village Industries Commission
3, Irla Road, Vile Parle(West), Mumbai-400 056
Website: www.kvic.org.in

davp 25133/13/0006/1718

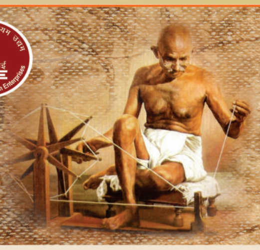

Khadi India

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष

चरखा देश की समृद्धि
और स्वतंत्रता का प्रतीक है
यह व्यावसायिक युद्ध का नहीं,
बल्कि व्यावसायिक शांति का निशान है
- महात्मा गांधी

हेरिटेज चरखा म्यूजियम

का उद्घाटन

स्टेनलेस स्टील चरखे

के अनावरण तथा

9 राज्यों के कारीगरों को 500 चरखों

के वितरण समारोह में आप सादर आमंत्रित हैं

रविवार, 21 मई 2017 को सायं 5.30 बजे
पालिका बाजार, खादी इंडिया आउटलेट के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई–400 056
वेबसाईट: www.kvic.org.in

davp 25133/13/0006/1718

Khadi India
प्रधानमंत्री के विज़न से प्रेरित होकर
खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की
बिक्री
50,000 करोड़ रुपये के पार हुई
टर्नओवर
रु.51997 करोड़
टर्नओवर
रु.41895 करोड़
टर्नओवर
रु.40385
करोड़
टर्नओवर
रु.49992
करोड़
टर्नओवर
रु.1510
करोड़
टर्नओवर
रु.2005
करोड़
ग्रामोद्योग में 24% की वृद्धि हुई
खादी में 33% की वृद्धि हुई
2015-16
2016-17
खादी और ग्रामोद्योग का प्रदर्शन
सभी खादी प्रेमियों का धन्यवाद
..... सदैव हमारे साथ बने रहने के लिए
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
वेबसाईट: www.kvic.org.in

Khadi India
Inspired by the vision of the Prime Minister
Sale of
Khadi and Village Industries products crossed
Rs. 50,000 Crore
Turnover
Rs. 51997 Cr.
Turnover
Rs. 41895 Cr.
Turnover
Rs.40385 Cr.
Turnover
Rs.49992 Cr.
Turnover
Rs.1510 Cr.
Turnover
Rs.2005 Cr.
Village Industries increased by 24%
Khadi increased by 33%
2015-16
2016-17
Performance of Khadi and Village Industries
Thanks To All Khadi Lovers
... Stay With Us Forever !
Khadi and Village Industries Commission
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt of India
Website: www.kvic.org.in

खादी
Khadi India

इस गर्मी खादी अपनाएं,
गर्मी को दूर भगाएं

सूर्य की बढ़ी हुई तपिश आने वाले जून-जुलाई में भी जारी रह सकती है!
गर्मी से राहत पायें, जीरो कार्बन फुटप्रिंट* वाले
हाथ से कते, हाथ से बुने खादी के वातानुकूलित और आरामदायक वस्त्रों को अपनाये!

पर्यावरण का संरक्षण, अपने कारीगरों का समर्थन!

*हाल की रिपोर्ट में कहा गया है: "60 बिलियन किलोग्राम से अधिक के अनुमानित वार्षिक वैश्विक कपड़ा उत्पादन के लिए, अनुमानित ऊर्जा और पानी के रूप में 1,074 kWh बिजली (या 132 मिलियन मीट्रिक टन कोयले) और 6 से 9 ट्रिलियन लीटर पानी आवश्यक है। 1 किलोग्राम मिल निर्मित कपड़ा बनाने में औसतन, 23 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।"

लोकवस्त्र खादी की महक की अनुभूति करें

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
वेबसाइट: www.kvic.org.in

davp 25133/13/0001/1718

खादी
Khadi India

'BEAT THE HEAT'
THIS SUMMER WITH KHADI

As mercury goes on rising, Sun may scorch further in June-July.
Get relief from heat,
Adopt air-conditioning – Hand-spun & Hand-woven comfortable Khadi with zero carbon footprints*!

Save the Climate & Support Your Own Artisans !

*Recent Report states: "Based on estimated annual global textile production of over 60 billion kilograms, the estimated energy and water needed to produce it is 1.074 KWh of electricity (or 132 million metric tons of coal) and between 6-9 trillion litres of water. On average, making 1 Kg of mill-made fabric generates 23 Kg of greenhouse gases."

Feel the Aroma of People's Fabric

Khadi and Village Industries Commission
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises. Govt of India
Website: www.kvic.org.in

davp 25133/13/0001/1718

Khadi India
स्वस्थ जीवन का प्राकृतिक मार्ग
बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला
KVIC
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056 वेबसाईट : www.kvic.org.in
भारत में हम रोजगार सृजन करते हैं तथा समृद्धि बुनते हैं